दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

जनवरी भाग-1

2021

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 4

- कोरोनावायरस वैक्सीन नीति 6
- ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी 8

आर्थिक घटनाक्रम 8

- बदलती वैश्विक व्यवस्था, भारत और यूएनएससी 10

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 10

- नेपाल में राजनीतिक संकट 12
- वर्ष 2021 में भारत की विदेश नीति 13
- सार्क का पुनः प्रवर्तन 15
- इलेक्ट्रिक वाहन संभावनाएँ और चुनौतियाँ 17

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 17

- राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा 19
- आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव 21

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण 21

- जल, स्वच्छता और महिला अधिकार 24

सामाजिक न्याय 24

- मानव विकास सूचकांक (HDI) 26
- यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड 27

दृष्टि The Vision

नोट :

नोट :

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

संघीय व्यवस्था और गवर्नर की भूमिका

संदर्भ

हाल ही में केरल के राज्यपाल ने राज्य मंत्रिमंडल द्वारा विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग को खारिज कर दिया है, इस विशेष सत्र का उद्देश्य केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किये गए कृषि कानूनों और नई दिल्ली में चल रहे किसान विरोध प्रदर्शन पर चर्चा करना था।

केरल के राज्यपाल का यह व्यवहार देश के कुछ अन्य राज्यों जैसे-कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आदि के राज्यपालों के व्यवहार के समान है, जो राज्यों की राजनीति में केंद्र के अनुचित हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। ध्यातव्य है इन राज्यों में उन राजनीतिक दलों की सरकार (मध्य प्रदेश दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक) है जो केंद्र में विपक्ष की भूमिका में शामिल है।

ऐसी घटनाएँ राज्यपालों को केंद्र के एजेंट के रूप में दर्शाते हुए उनकी नकारात्मक छवि प्रस्तुत करती हैं। निर्धारित प्रक्रिया से चुनी गई सरकार को कमज़ोर करने के लिये राज्यपाल के कार्यालय का दुरुपयोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया और संघवाद के सिद्धांत को कमज़ोर करता है।

केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल और इसके प्रभाव

- स्रोत: भारतीय संविधान के अनुच्छेद-163 के अनुसार, राज्यपाल को राज्य मंत्रिमंडल के सुझावों और सहायता के आधार पर कार्य करना चाहिये, हालाँकि राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने विवेक के अनुरूप ही कोई निर्णय लेगा।
  - अत: अनुच्छेद-163 राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के स्रोत के रूप में कार्य करता है।
  - चूँकि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, ऐसे में अनुच्छेद-163 के साथ मिलकर केंद्र की यह शक्ति उसे राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करने का साधन प्रदान करती है।
- हस्तक्षेप की प्रकृति: वर्तमान में चल रहे विवादों के कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं-
  - मुख्यमंत्रियों का चयन।
  - विधायी बहुमत साबित करने के लिये समय का निर्धारण।
  - प्रशासन की दैनिक जानकारी की मांग।
  - विधेयकों पर स्वीकृति देना या उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने के लिये सुरक्षित रखा जाना।
  - विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों में सरकार को भंग करने के लिये राज्यपाल की सलाह पर बार-बार अनुच्छेद-365 का प्रयोग।
  - राज्यपाल द्वारा राज्य सरकार की विशिष्ट नीतियों पर प्रतिकूल टिप्पणी करना।

प्रभाव

- राज्यपाल द्वारा विधायिका की शक्तियों और एक निर्वाचित सरकार के अधिकारों का अतिक्रमण किया जाना शक्तियों का दुरुपयोग है क्योंकि वह संविधान के तहत एक नाममात्र का प्रमुख होता है।
  - केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल कार्यालय के माध्यम से किये जाने वाले सिद्धांत विरोधी कार्य भारत की महत्त्वपूर्ण संघीय संरचना और लोकतांत्रिक प्रणाली को क्षति पहुँचाते हैं।

गवर्नर की परिकल्पित भूमिका

- संविधान सभा का मत: संविधान सभा की बहसों की समीक्षा से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि संविधान सभा ने केंद्र की ही तरह राज्यों में भी उत्तरदायी सरकार की परिकल्पना की थी।
  - डॉ. अंबेडकर के अनुसार, "मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि विवेकाधीन शक्तियाँ किसी भी प्रकार से ज़िम्मेदार सरकार की उपेक्षा है। यह कोई सामान्य प्रावधान नहीं है जो राज्यपाल को अपनी इच्छा अनुसार मंत्रिमंडल की किसी भी सलाह की अवहेलना करने की शक्ति प्रदान करता है।"

- क्या कहता है संविधान: चूँकि राज्य पहले से ही अपने अधिकार क्षेत्र में पूर्णत: संप्रभु है, ऐसे में राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ संविधान के तहत निर्धारित कुछ विशेष स्थितियों से परे उसे राज्य के फैसले को पलटने अधिकार नहीं प्रदान करती हैं।
  - ऐसे में अपनी पसंद के मुख्यमंत्री का चयन करना या सत्ताधारी दल को बदलने के लिये दल-बदल की स्थितियाँ उत्पन्न करना या उनका लाभ उठाना एक राज्यपाल का कार्य नहीं हो सकता।
- केंद्र-राज्य संबंधों पर बनी विभिन्न समितियों के मत: हाल के कुछ दशकों में भारत की संघीय लोकतांत्रिक प्रणाली में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा के लिये कई समितियों का गठन किया जा चुका है।
  - इन समितियों ने कई महत्त्वपूर्ण सिफारिशे कीं जो राज्यपाल कार्यालय को 'राज्य के संवैधानिक तंत्र में एक महत्त्वपूर्ण घटक' के रूप में स्थापित करते हैं।

केंद्र-राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न समितियाँ

- वर्ष 1968 का प्रशासनिक सुधार आयोग।
- वर्ष 1969 की राजमन्नार समिति।
- वर्ष 1971 की राज्यपालों की समिति।
- वर्ष 1988 का सरकारिया आयोग।
- पुंछी आयोग, 2007।

आगे की राह

- राज्यपाल का उत्तरदायित्व: एक लोकतांत्रिक सरकार के सुचारु रूप से संचालन के लिये यह बहुत आवश्यक है कि राज्यपाल को अपने विवेक और व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए तर्कपूर्ण, निष्पक्ष तथा कुशलता से कार्य करना चाहिये।
  - जैसा कि सरकारिया आयोग ने कहा है, राज्यपाल का कार्य "यह सुनिश्चित करना है कि सरकार बने, न कि सरकार बनाने का प्रयास करना।"
- संघवाद को मज़बूत बनाना: राज्यपाल कार्यालय के दुरुपयोग को रोकने के लिये भारत में संघवाद तंत्र को और मज़बूत किया जाना बहुत आवश्यक है।
  - इस संबंध में अंतर-राज्य परिषद और संघवाद के कक्ष के रूप में राज्यसभा की भूमिका को मज़बूत किया जाना चाहिये।
- राज्यपाल की नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार: राज्यपाल के रूप में 'अपने किसी व्यक्ति/प्रतिनिधि' का चुनाव करने के केंद्र के एकाधिकार को समाप्त करने के लिये यह नियुक्ति राज्य विधायिका द्वारा स्थापित एक पैनल द्वारा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त वास्तविक नियुक्ति प्राधिकारी अंतर-राज्य परिषद को होना चाहिये, न कि केंद्र सरकार का।
- राज्यपाल के लिये आचार संहिता: राज्यपाल के लिये संविधान में निर्धारित कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा आपसी सहमति से एक 'आचार संहिता' (Code of Conduct) का निर्धारण किया जाना चाहिये।
  - इस आचार संहिता के तहत कुछ 'मानदंडों और सिद्धांतों' का निर्धारण किया जाना चाहिये जो राज्यपाल के 'विवेक' और उसकी शक्तियों (जिसे वह अपने फैसलों में प्रयोग करने का हकदार है) के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करें।
  - इस संदर्भ में ऐसी संहिता के लिये केंद्र-राज्यों संबंधों पर बने सरकारिया आयोग की विभिन्न सिफारिशों से प्रेरणा ली जा सकती है।

निष्कर्ष

राज्यपाल किसी राज्य की राजधानी में बैठा केंद्र सरकार का एक एजेंट नहीं है, बल्कि वह राज्य स्तर पर भारत की संघीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक महत्त्वपूर्ण घटक/कील (Lynchpin) का कार्य करता है। अत: संवैधानिक लोकतंत्र के सफल संचालन के लिये राज्यपाल की भूमिका अपरिहार्य है और उसे इस भूमिका में अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करते हुए निष्पक्षता को बनाए रखना चाहिये।

नोट :

कोरोनावायरस वैक्सीन नीति

संदर्भ

हाल ही में भारत सरकार द्वारा एस्ट्राजेनेका (कोविशील्ड) और भारत बायोटेक (कोवैक्सिन) द्वारा निर्मित COVID-19 वैक्सीन के सीमित उपयोग की स्वीकृति दे दी गई है। वर्तमान में अलग-अलग निर्माताओं द्वारा कई अन्य वैक्सीन पर कार्य किया जा रहा है जो संभवत: इसी वर्ष बाज़ार में उपलब्ध होंगी।

हालाँकि भारत को अपनी पूरी आबादी के टीकाकरण की आवश्यकता नहीं होगी परंतु पूरी तरह से हर्ड इम्युनिटी (Herd Immunity) विकसित करने के लिये कम-से-कम 30-40% लोगों का टीकाकरण करना होगा।

गौरतलब है कि अब तक विकसित अधिकांश COVID-19 वैक्सीन के लिये बूस्टर खुराक की आवश्यकता होती है। ऐसे में न्यूनतम स्तर पर भी COVID-19 वैक्सीन की लगभग 1 बिलियन खुराक की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त आवंटन, वितरण, वित्तपोषण, संचार आदि जैसे अन्य कारक भी COVID-19 टीकाकरण अभियान के मार्ग की कुछ प्रमुख बाधाएँ हैं।

चुनौतियाँ

- आवंटन: अधिकांश देशों में सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण किया जाएगा क्योंकि COVID-19 से संक्रमित लोगों के इलाज और शेष आबादी के टीकाकरण में उनकी भूमिका महत्त्वपूर्ण है। इसके बाद टीकाकरण के लिये बुजुर्गों को प्राथमिकता देना तर्कसंगत लगता है, जिनके मामलों में संक्रमण और मृत्यु दर अधिक रही है।
  - हालाँकि वयस्क की तुलना में एक युवा व्यक्ति की असामयिक मृत्यु अधिक क्षतिकारक हो सकती है। यह भारत के लिये अधिक चिंता का विषय है, क्योंकि इसकी 80% आबादी 50 वर्ष से कम आयु की है।
- वितरण: वैक्सीन को कंपनियों से गोदामों तक ले जाना अपेक्षाकृत आसान होगा परंतु कोल्ड चेन और भंडारण सुविधाओं से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए इसे गोदामों से वितरकों तथा वितरकों से अंतिम-उपभोक्ता तक ले जाना एक चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।
- वित्तपोषण: संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में इस वैक्सीन को पूरी तरह से निशुल्क तथा सरकारी खर्च पर प्रदान किये जाने की संभावना है।
  - हालाँकि देश की वर्तमान राजकोषीय स्थिति को देखते हुए भारत सरकार को एक बड़ी दुविधा का सामना करना पड़ेगा कि इतने बड़े पैमाने पर टीकाकरण को सरकारी कोष से वित्तीय सहायता दी जानी चाहिये या नहीं।
- मानव संसाधन: एक वर्ष में 30-40 मिलियन टीकाकरण (नियमित टीकाकरण अभियान के तहत) की तुलना में इसी अवधि में 600 मिलियन लोगों के टीकाकरण का प्रबंधन बहुत ही कठिन होगा।
  - मौजूदा प्राथमिकताओं को प्रभावित किये बगैर इंट्रामस्क्युलर शॉट्स देने के लिये आवश्यक प्रशिक्षित मानव संसाधन जुटाना आसान नहीं होगा।
- सार्वजनिक विश्वास: आशावादी पूर्वाग्रह के कारण भी कई लोगों को टीकाकरण अनावश्यक लगता है। बीमारियों के संदर्भ में बहुत से लोगों को लगता है कि उन्हें इनका बहुत कम जोखिम है।
  - हालाँकि यह व्यवहार COVID-19 जैसी महामारी से लड़ने में घातक साबित हो सकता है।

आगे की राह

- टीकाकरण प्राथमिकता: यदि पूर्व में हुए COVID-19 संक्रमण के कारण किसी व्यक्ति के शरीर में प्रतिरक्षा मौजूद है तो ऐसे में उसके लिये टीकाकरण का सुरक्षात्मक लाभ बहुत सीमित होगा, अत: कार्यशील आयु के बीच वैक्सीन के आवंटन में दो कारकों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये:
  - COVID-19 एंटीबॉडी के लिये लोगों की जाँच करना और बगैर एंटीबॉडी वाले लोगों को टीकाकरण में प्राथमिकता देना एक बेहतर निर्णय हो सकता है।

नोट :

- हर्ड इम्युनिटी के नज़दीक पहुँच चुके क्षेत्रों में बगैर किसी अतिरिक्त प्रतिबंध के भी सामान्य आर्थिक गतिविधियों को पुन: शुरू करने के लिये बहुत ही कम मात्रा में वैक्सीन की आवश्यकता होगी और ऐसे क्षेत्रों में वैक्सीन के उच्च सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे।

- वैक्सीन आपूर्ति श्रृंखला को मज़बूत बनाना: इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क (Electronic Vaccine Intelligence Network- eVIN) प्रणाली को बढ़ावा देकर देश के सभी कोल्ड चेन पॉइंट्स पर वैक्सीन स्टॉक और स्टोरेज़ तापमान से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियों को वास्तविक समय में प्राप्त करने की क्षमता विकसित की जा सकेगी।
- मानव संसाधन की कमी को दूर करना: मेडिकल छात्रों, फेलोबॉमिस्ट्स, पैरामेडिक्स और फार्मासिस्टों को शामिल कर उन्हें शीघ्रता एवं विश्वसनीयता के साथ टीके लगाने के लिये प्रशिक्षित किया जा सकता है, जो वर्तमान में व्याप्त मानव संसाधन के इस अंतर को पाटने में सहायक होगा।
- हाइब्रिड वित्तपोषण नीति: भारत को एक हाइब्रिड रणनीति की आवश्यकता होगी, जहाँ अधिकांश आबादी (आर्थिक रूप से कमज़ोर) को सरकारी सहायता के माध्यम से निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाती है, जबकि आर्थिक रूप से समर्थ लोगों के लिये निजी बाज़ारों को काम करने की अनुमति दी जा सकती है।
- प्रभावी संचार: एक अच्छी संचार रणनीति जो COVID-19 वैक्सीन से जुड़े मिथकों को दूर करने की परिकल्पना करती है, में विज्ञान आधारित सूचना, नियमित संचार, पहुँच बढ़ाने के लिये समुदाय के सम्मानित नेताओं का उपयोग करना और गलत सूचना के प्रसार को रोकने जैसे महत्त्वपूर्ण कारकों का शामिल होना आवश्यक होगा।
- वैक्सीन के प्रमाणन की आवश्यकता: सामान्य गतिविधियों और लोगों को निर्बाध आवाजाही शुरू करने की अनुमति देने के लिये प्रत्येक देश को टीकाकरण के प्रमाण के संदर्भ में ऐसे स्थानीय प्रोटोकॉल की आवश्यकता होगी जिसका दूसरे देशों के मानदंडों के साथ परस्पर समन्वय हो।
    - दूसरे शब्दों में कहें तो भारत या तंज़ानिया में प्राप्त टीकाकरण का प्रमाण पत्र सिंगापुर एयरलाइंस या क्वांटस एयरलाइंस (अमेरिकी) आदि को स्वीकार्य होना चाहिये।
    - इसके लिये एक व्यापक रूपरेखा बनाने में बहुपक्षीय निकायों की सक्रिय भूमिका की आवश्यकता होगी जिससे इस रूपरेखा के आधार पर आवश्यक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किये जा सकें।

निष्कर्ष

भारत का COVID-19 वैक्सीन अभियान एक महत्त्वपूर्ण मिशन होगा, यह सिर्फ इसलिये नहीं कि भारत अपनी इतनी बड़ी आबादी का टीकाकरण करेगा बल्कि भारत विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता होने के कारण विश्व के एक बड़े हिस्से को वैक्सीन उपलब्ध कराएगा। टीकों के विकास और वितरण से जुड़ी चुनौतियों को दूर कर बहुत ही कम समय में लाखों लोगों तक कुशलता से वैक्सीन की पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयासों को मज़बूती प्रदान की जा सकेगी।

आर्थिक घटनाक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन और डिजिटल प्रौद्योगिकी

संदर्भ

एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते भारत में सरकारी नीति का एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को सक्षम बनाना और हस्तक्षेपकारी सार्वजनिक नीतियों के माध्यम से 'घोर गरीबी' (Abject Poverty) को कम करना है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefits Transfer- DBT) की पहल इसी प्रकार के एक लक्षित हस्तक्षेप का उदाहरण है। सरकार के कई कार्यक्रम जैसे- मातृत्त्व पात्रता, विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम अर्थात् मनरेगा के तहत श्रमिकों की मज़दूरी आदि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की पहल के तहत आते हैं, जिसमें निर्धारित धनराशि को सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाता है।

हालाँकि इसके बावजूद लाभार्थियों को अपना पैसा प्राप्त करने के लिये कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को लंबी यात्रा करने के बाद भी बैंक से धनराशि निकलने के लिये घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। इन बाधाओं को आमतौर पर 'लास्ट माइल चैलेंज' (Last Mile Challenges) के रूप में जाना जाता है। इन चुनौतियों ने पात्र लाभार्थियों और उनके अधिकारों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया है, इस समस्या का तत्काल समाधान किया जाना चाहिये।

प्रभाव

- डिजिटल बहिष्करण: हाल ही में प्रकाशित केपीएमजी रिपोर्ट (KPMG Report) के अनुसार, ब्रिक्स (BRICS) समूह में शामिल सभी देशों (ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका) में से भारत में इंटरनेट का उपयोग सबसे कम होता है।
  - इसी प्रकार डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 [Digital Quality of Life (DQL) Index 2020] भी डिजिटल मापदंडों में भारत के निराशाजनक प्रदर्शन को रेखांकित करता है।
  - इसके अतिरिक्त डिजिटल निरक्षरता, सांख्यिकी बोध का अभाव और एक बड़ी आबादी का प्रौद्योगिकी से अपरिचित होना, डिजिटल उत्पादों के पूर्ण उत्थान के कार्य को बाधित करता है।
  - प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और बैंकिग जागरूकता का अभाव: प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लाभार्थियों को अक्सर यह नहीं पता होता है कि बैंक द्वारा उनके भुगतान को रद्द किये जाने की स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिये। अधिकांश मामलों में ऐसा
  - तकनीकी कारणों, जैसे कि गलत खाता संख्या और बैंक खातों के साथ गलत आधार मैपिंग आदि की वजह से होता है।
  - इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि ऐसा बहुत ही कम होता है जब श्रमिकों/लाभार्थियों से लेन-देन के लिये उनके पसंद के तरीकों/माध्यमों के बारे में परामर्श किया जाए।
- भ्रष्टाचार: डिजिटल बहिष्करण और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली से लाभार्थियों के परिचित न होने के कारण भ्रष्टाचार के नए तरीकों ने जन्म लिया है।
  - हाल ही में झारखंड में बड़े पैमाने पर हुए छात्रवृत्ति घोटाले में इसके प्रमाण देखे गए थे, जहाँ बिचौलियों, सरकारी अधिकारियों, बैंकिंग सेवा प्रदाताओं और अन्य लोगों के गठजोड़ से कई गरीब छात्रों को अपनी छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया गया था।
- अपर्याप्त ग्रामीण बैंकिंग: भारत में प्रति 1 लाख वयस्कों पर मात्र 14.6 बैंक शाखाएँ हैं, जबकि ग्रामीण भारत में यह स्थिति और भी खराब है।
  - इसके अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों में पहले से ही कर्मचारियों की संख्या कम है और बैंक शाखाओं की संख्या कम होने के कारण भी इन पर अधिक दबाव होता है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की दूरी अधिक होने के कारण इन तक पहुँचने के लिये श्रमिकों को मज़दूरी का नुकसान उठाना पड़ता है। साथ ही लोगों को भुगतान/सब्सिडी प्राप्त करने हेतु बैंक तक पहुँचने के लिये परिवहन पर पैसा खर्च करना होता है।

नोट :

- असफल बैंकिंग अभिकर्त्ता मॉडल: वर्ष 2006 में व्यावसायिक अभिकर्त्ता मॉडल पर जारी पहले नियमों के एक दशक से अधिक समय बाद भी बैंक और अन्य वित्तीय सेवा प्रदाता शाखाहीन बैंकिंग (Branchless Banking) के लिये एक व्यावहारिक और टिकाऊ व्यावसायिक मॉडल की रूपरेखा तैयार करने में असफल रहे हैं।
- जवाबदेहिता: जवाबदेही की कमी और एक व्यवस्थित शिकायत निवारण प्रणाली की अनुपस्थिति सभी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कार्यक्रमों को प्रभावित करती है।

आगे की राह

- सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार: पारदर्शी तरीके से एक निर्धारित समय के अंदर पैसा प्राप्त करने के अधिकार को शामिल करते हुए सामाजिक न्याय के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिये।
    - इसके अलावा इन अधिकारों का संरक्षण एक मज़बूत शिकायत निवारण प्रक्रिया और सभी भुगतान मध्यस्थों के लिये जवाबदेही मानदंड स्थापित कर किया जाना चाहिये।
- अधिक विकल्प प्रदान करना: आधार (ADHAAR) सक्षम भुगतान प्रणाली के सार्वभौमिकरण से आधार सक्षम बैंक खाता धारकों को निर्बाध वित्तीय लेन-देन करने में मदद मिलेगी।
- बीसी मॉडल के लिये एक आचार संहिता की स्थापना: बैंकिंग अभिकर्त्ताओं की प्रभावी निगरानी और पर्यवेक्षण के लिये बैंकों द्वारा मानक नियमों के विकास के साथ एक आचार संहिता भी तैयार की जानी चाहिये।
    - एजेंट पॉइंट को खोजने के लिये एजेंटों की वास्तविक अवस्थिति की जियोटैगिंग और जीपीएस मैपिंग भी बेहतर निगरानी तथा पर्यवेक्षण को सक्षम बनाएगी।
- ऊबर मॉडल: ग्राहकों को CICO पॉइंट के रूप में कार्य करने हेतु सक्षम बनाकर 'कैश-इन/कैश-आउट' (CICO) की व्यवस्था के लिये "उबर" मॉडल अपनाने की संभावना तलाशने की आवश्यकता है।
    - यह एजेंटों पर निर्भरता को कम करेगा और उन्हें CICO से आगे अपने कार्य के विस्तार की अनुमति देगा।
    - दूसरी ओर, ग्राहक भी एक स्थिर और सीमित एजेंट नेटवर्क से परे लेन-देन करने में सक्षम होंगे।
- डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना: डिजिटल साक्षरता भारत के वित्तीय समावेशन और डोरस्टेप डिलीवरी मॉडल में क्रांति लाने की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है।
    - इस संदर्भ में 'प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान ' (PMGDISHA) एक सकारात्मक कदम है।

निष्कर्ष

- वर्तमान में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के कुछ प्रमुख पहलुओं पर फिर से विचार करते हुए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिये सरकार, नियामक, सेवा प्रदाता, उद्योग, निकाय और अन्य सहित सभी
- हितधारकों को ग्रामीण क्षेत्रों की वर्तमान ज़मीनी वास्तविकता और ज़रूरतों के अनुरूप आमूल-चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम

बदलती वैश्विक व्यवस्था, भारत और यूएनएससी

संदर्भ

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में अपने नए कार्यकाल के साथ शीत युद्ध के बाद इस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान में तीसरी बार प्रवेश करेगा। हालाँकि UNSC में भारत के पिछले दो कार्यकालों (वर्ष 1991-92 और वर्ष 2011-12) की तुलना में वर्तमान वैश्विक व्यवस्था काफी अलग है। वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि क्या एक शांतिपूर्ण आम सहमति से विश्व की विभिन्न महाशक्तियों के बीच शक्ति के पुनर्वितरण को संभव बनाया जा सकता है।

इस संदर्भ में भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अपने राष्ट्रीय हितों और वैश्विक शांति के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिये UNSC में एक अस्थायी सदस्य के रूप में अपने दो वर्ष के कार्यकाल का पूरा लाभ उठाया जाना चाहिये।

हाल के समय में बदलती वैश्विक व्यवस्था:

- नया शीत युद्ध: वर्ष 1991 में सोवियत संघ के पतन के साथ वैश्विक व्यवस्था द्विध्रुवीय से बदलकर एक ध्रुवीय हो गई। परंतु वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में एक प्रणालीगत संतुलन का अभाव दिखाई देता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिये बहुत ही आवश्यक है।
  - इस अस्थिरता का एक प्रमुख कारण अमेरिका और चीन के बीच एक नए शीत युद्ध के उदय को माना जाता है, जो वैश्विक व्यवस्था में शक्ति (राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य) के पुनर्वितरण को संभव बनाने के लिये एक बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है।
  - इसके अतिरिक्त वर्तमान में अमेरिका, चीन और रूस के बीच बहुत ही अशिष्ट मतभेद हैं।
- अमेरिका की अनुपस्थिति: वर्तमान वैश्विक व्यवस्था की प्रमुख विशेषता महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अमेरिका की अनुपस्थिति रही है। इसे पेरिस जलवायु समझौता, ईरान परमाणु समझौता आदि से अमेरिका के पीछे हटने के रूप में देखा जा सकता है।
  - इस अनुपस्थिति से बहुपक्षवाद और वैश्वीकरण को गहरा आघात पहुँचा है।
- एक नई उप-प्रणाली के रूप में हिंद-प्रशांत क्षेत्र: चीन के एक महाशक्ति के रूप में उभरने के साथ ही इसने दक्षिण चीन सागर में शक्ति के संतुलन को व्यापक रूप से प्रभावित किया है। इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता ने अमेरिका, जापान, भारत आदि देशों को हिंद-प्रशांत की वैश्विक व्यवस्था में एक उप-तंत्र के रूप स्थापित करने के लिये सहयोग बढ़ाने को प्रेरित किया है।
  - हिंद-प्रशांत से आशय अफ्रीका के पूर्वी तट और अमेरिका के पश्चिमी तट के बीच हिंद-महासागर तथा प्रशांत महासागर क्षेत्र एवं इनके तटीय देशों से हैं।
- संयुक्त राष्ट्र की घटती भूमिका: UNSC संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख कार्यकारी निकाय है, जो वैश्विक स्तर पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिये उत्तरदायी है।
  - हालाँकि UNSC के पाँच स्थायी सदस्यों द्वारा वीटो (Veto) की शक्ति का प्रयोग अपने भू-राजनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के एक साधन के रूप में किया जाता है। और ऐसे अधिकांश मामलों में सशस्त्र संघर्ष के पीड़ितों पर इन निर्णयों के विनाशकारी परिणामों की परवाह नहीं की गई जिसके उदाहरण इराक, सीरिया आदि देशों में देखे जा सकते हैं।

भारतीय विदेश नीति के समक्ष वर्तमान चुनौतियाँ

- चीन की आक्रामकता: शीत युद्ध के बाद भारत द्वारा चीन के साथ इस उद्देश्य से बहुपक्षीय मोर्चों पर सहयोग को बढ़ावा दिया गया कि यह दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने और द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिये अनुकूल स्थितियाँ बनाने में सहायक होगा।
  - हालाँकि भारत की इस रणनीति का उल्टा प्रभाव देखने को मिला है, क्योंकि हाल के वर्षों में भारत के खिलाफ चीन की आक्रामकता में वृद्धि ही हुई है, इसका उदाहरण हाल के गलवान घाटी संघर्ष के रूप में देखा जा सकता है।
  - इसके अतिरिक्त भारत द्वारा विभिन्न वैश्विक मंचों से पाकिस्तान के विरूद्ध दबाव बनाने के प्रयासों के विपरीत चीन पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय दबाव से भी बचाता है।

- गुटनिरपेक्ष नीति का अवमूल्यन: चीन की आक्रामकता का सामना करने के लिये भारत ने हाल में समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग बढ़ाया है। इसी नीति के तहत 'क्वाड' समूह को मज़बूती प्रदान करने का प्रयास किया गया है।
- हालाँकि अमेरिका के साथ भारत की इस निकटता ने भारत की गुटनिरपेक्ष छवि को धूमिल किया है, साथ ही इसने रूस जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ भारत के संबंधों को भी प्रभावित किया है।

आगे की राह

- वैश्विक व्यवस्था में सक्रिय भागीदारी: UNSC विश्व की प्रमुख शक्तियों को स्थायी राजनयिक संवाद के लिये मंच प्रदान करता है और इसके माध्यम से यह उनके बीच तनाव को कम करने और सहयोग के नए अवसर उपलब्ध कराने में सहयोग करता है।
  - जिस प्रकार अमेरिका और सोवियत संघ ने शीत युद्ध के चरम स्तर पर भी परमाणु प्रसार के मुद्दे पर मिलकर सहयोग किया, उसी प्रकार अमेरिका और चीन भी इस व्यापक मतभेद के बीच शांति तथा समाधान के अवसर तलाशने का प्रयास कर सकते हैं।
  - इस संदर्भ में भारत इस नई शक्ति प्रतिद्वंदिता के बीच वैश्विक व्यवस्था में अपने लिये एक बड़ी भूमिका गढ़ने का प्रयास कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त भारत ऐसे समय में UNSC में अपने कार्यकाल की शुरुआत करेगा जब LAC पर चीन के साथ तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में भारत UNSC के माध्यम से वैश्विक समुदाय के समक्ष लद्दाख में चीन की आक्रामकता के मुद्दे को बेहतर तरीके से रख सकेगा।
- सुरक्षा परिषद में सुधार: शीत युद्ध के बाद से भारत ने लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व के सुधार की मांग उठाई है।
  - इस संदर्भ में भारत को UNSC के विस्तार के लिये G-4 देशों (भारत, जर्मनी और जापान) के साथ अपने सहयोग को जारी रखना चाहिये और UNSC की स्थायी सदस्यता प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विस्तार: UNSC में शांति और सुरक्षा के मुद्दे पर संवाद भारत को क्वाड जैसे नए गठबंधनों को मज़बूत करने का अवसर प्रदान करेगा।
  - इसके अतिरिक्त भारत UNSC में अपने कार्यकाल का उपयोग फ्राँस और जर्मनी जैसे अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी को मज़बूत करने के लिये कर सकता है।
  - पश्चिमी देशों के साथ रूस के बिगड़ते संबंधों और चीन के साथ इसकी बढ़ती निकटता से परे भारत द्वारा सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर रूस के साथ गहन बातचीत किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
- ग्लोबल साउथ के साथ सहयोग: भारत के लिये 'ग्लोबल साउथ' के अपने पारंपरिक सहयोगियों के साथ मिलकर UNSC में उनकी शांति और सुरक्षा चिंताओं को स्पष्ट करते हुए आपसी संबंधों को पुनर्जीवित करना बहुत ही आवश्यक है। इस संदर्भ में ग्लोबल साउथ के दो उप-समूहों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - छोटे द्वीपीय देश: जलवायु परिवर्तन और समुद्री जल स्तर के बढ़ने/उठने के साथ विश्व भर के कई छोटे द्वीपीय देशों के समक्ष अपने अस्तित्व को खोने का संकट उत्पन्न हो गया है।
    - साथ ही उन्हें अपनी व्यापक समुद्री संपदा पर नियंत्रण करने के लिये भी संघर्ष करना पड़ता है।
    - द्वीपीय देशों की संप्रभुता और उत्तरजीविता का समर्थन करना भारत के लिये एक महत्त्वपूर्ण राजनीतिक कार्य है।
  - अफ्रीका: UNSC की लगभग आधी बैठकें, 60% दस्तावेज़ और लगभग 70% प्रस्ताव अफ्रीका के विभिन्न हिस्सों में शांति तथा सुरक्षा से संबंधित होते हैं।
    - इस महाद्वीप को UNSC में तीन सीट (केन्या, नाइजर और ट्यूनीशिया) प्राप्त हैं और UNSC तथा अफ्रीकी संघ (AU) के 'शांति और सुरक्षा परिषद' (PSC) के बीच नियमित परामर्श जारी रहता है।
    - UNSC का कार्यकाल भारत के लिये अफ्रीका में शांति और सुरक्षा के मुद्दों पर द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वैश्विक स्तर पर अपनी सक्रियता को बढ़ाने का एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।

नोट :

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में भारत की विदेशी नीति मात्र प्रतिक्रियावादी न रहकर एक सक्रिय विदेशी नीति के रूप में उभरकर सामने आई है। भारतीय विदेश नीति में यह बदलाव UNSC में भारत के आगामी कार्यकाल को अधिक उद्देश्यपूर्ण और व्यावहारिक बनाता है। यहाँ उद्देश्यपूर्ण होने से आशय यह है कि भारत को UNSC में अपनी सहभागिता के साथ अपने व्यापक राष्ट्रीय हितों को एकीकृत करना होगा। वहीं व्यावहारिकता का अर्थ है कि भारत को अति-महत्वाकांक्षी लक्ष्यों से बचते हुए UNSC में बदली हुई परिस्थितियों को स्वीकार करना चाहिये।

नेपाल में राजनीतिक संकट

संदर्भ

हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली द्वारा अपने देश की संसद को भंग करने के फैसले के बाद नेपाल में राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। नेपाली प्रधानमंत्री के अनुसार, यह निर्णय सत्तारुढ़ दल 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' (NCP) में चल रही आंतरिक रसाकस्सी की पृष्ठभूमि में लिया गया है।

पूर्व में नेपाल के राजनीतिक संकटों में भारत द्वारा मध्यस्थता की भूमिका निभाने के कारण नेपाल में भारत विरोधी भावना को बढ़ावा मिला है, ऐसे में नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न कर भारत ने सही निर्णय लिया है।

हालाँकि भारत द्वारा ऐसी आशंकाएँ व्यक्त की गई हैं कि नेपाल की यह राजनीतिक अस्थिरता नेपाली राजनीति में चीन के हस्तक्षेप में वृद्धि के साथ ही चीन के प्रति निकटता का भाव रखने वाली सरकार के गठन की संभावनाओं का विस्तार करेगी।

नेपाल पर चीन के प्रभुत्व का मुकाबला करने के लिये भारत को नेपाल के उन प्रमुख आर्थिक और सामरिक हितों पर ध्यान देना चाहिये जो नेपाल को चीन की ओर धकेलने के लिये उत्तरदायी रहे हैं।

भारत-नेपाल संबंधों में वर्तमान मुद्दे:

- वर्ष 1950 की संधि में संशोधन: नेपाल द्वारा दोनों देशों के बीच वर्ष 1950 में हुई संधि (भारत-नेपाल शांति और मित्रता संधि) में संशोधन की मांग की गई है और भारत ने इसे स्वीकार कर लिया है।
  - हालाँकि यह मामला अभी भी लंबित है क्योंकि नेपाल ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि भारत की सुरक्षा चिंताओं और नेपाल की विकास संबंधी आकांक्षाओं के बीच उचित संतुलन कैसे बनाया जाए।
- हालिया सीमा विवाद: कालापानी सीमा विवाद ने नेपाल में भारत की लोकप्रिय छवि को क्षति पहुँचाई है।
  - इसका लाभ उठाते हुए नेपाल के वर्तमान नेतृत्व ने एकतरफा निर्णय लेते हुए एक नया मानचित्र जारी किया जिसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल के हिस्सों के रूप में दर्शाया गया है।
  - गौरतलब है कि भारत इन तीनों स्थानों को अपने अधिकार क्षेत्र का हिस्सा बताता है, ऐसे में इस सीमा विवाद के कारण भारत-नेपाल संबंध इतिहास के सबसे निचले स्तर पर पहुँच गए हैं।
- चीन और भारत के बीच रस्साकशी: नेपाल की भू-रणनीतिक स्थिति (भारत और चीन के बीच स्थित होना) ने भारत तथा चीन के बीच रस्साकशी की स्थिति पैदा कर दी है।
  - चीन हाल में अपने खिलाफ उभरते अंतर्राष्ट्रीय विरोध के बीच नेपाल को एक रक्षात्मक दीवार के रूप में देखता है।
  - भारत के लिये नेपाल एक बफर राज्य के रूप में कार्य करते हुए क्षेत्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
- चीन का बढ़ता प्रभुत्व: चीन और नेपाल के आर्थिक संबंधों में वर्ष 2015 से वृद्धि देखने को मिली परंतु वर्ष 2018 से नेपाल पर चीन के प्रभुत्व ने गति पकड़नी शुरू कर दी।
  - 'नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी' के गठन में चीन की महत्त्वपूर्ण भूमिका होने के कारण वह NCP की सरकार में अत्यधिक प्रभाव स्थापित करने में सफल रहा है।
  - इसके परिणामस्वरूप चीन नेपाल में सबसे बड़े निवेशक के रूप में भारत को बाहर करने में सफल रहा है।

- इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार के तहत नेपाल में एक चीन समर्थक विदेश नीति को मज़बूती प्राप्त हुई है।
- इसके अतिरिक्त चीन के प्रभुत्व को इस बात से भी समझा जा सकता है कि नेपाल में हालिया राजनीतिक संकट को हल करने के लिये चीन अपनी स्वकल्पित मध्यस्थ की भूमिका में सामने आया है।

आगे की राह

अपने पड़ोस में मित्रवत शासन की अपेक्षा करना अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की यथार्थवादी दुनिया में एक स्वीकृत प्रतिमान रहा है और यह नीति भारत पर भी लागू होती है। ऐसे में भारत को नेपाल के साथ अपने संबंधों को फिर से मज़बूत करने का प्रयास करना चाहिये।

- विवादित मुद्दों की पहचान: भारत लंबित विवादास्पद मुद्दों जैसे- वर्ष 1950 की संधि, कालापानी सीमा विवाद, व्यापार और अन्य मामलों आदि पर कार्य करते हुए नेपाल के साथ अपने संबंधों में सुधार के लिये एक शुरुआत कर सकता है।
  - हालाँकि भारत को अपना पक्ष बिलकुल स्पष्ट करना चाहिये और ऐसी लाल रेखाओं (चीन से जुड़ी सुरक्षा चिंताएँ) का निर्धारण करना चाहिये जिन्हें नेपाल को नहीं लाँघना चाहिये।
- आर्थिक उपाय: व्यापार एवं निवेश के मामले में भारत को और अधिक उदारता दिखानी होगी। नेपाल, भारत से लगभग 8 बिलियन डॉलर के उत्पादों का आयात करता है, जबकि नेपाल द्वारा भारत को निर्यात किये जाने वाले कुल उत्पादों की लागत1 बिलियन डॉलर से कम है।
  - हालाँकि व्यापार घाटा अर्थव्यवस्थाओं पर निर्भर करता है परंतु भारत अपने बाज़ारों में नेपाली वस्तुओं के प्रवेश के लिये संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक बाधाओं को दूर करने के लिये कार्य कर सकता है।
  - साथ ही भारत द्वारा नेपाली निर्यात को बढ़ावा देने के लिये जलविद्युत उत्पादन सहित ऐसे उद्योगों में भारतीय निवेश को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।
  - पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना जैसी बड़ी विकास परियोजनाओं को पूरा करना भी दोनों देशों से संबंधों को नई गति प्रदान करने में सहायक हो सकता है।
- सैन्य सहयोग: भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों को हल करने के लिये दोनों देशों की सेनाओं के बीच परस्पर विश्वास और समझ का होना बहुत ही महत्त्वपूर्ण है।
  - उदाहरण के लिये वर्ष 2015 की आर्थिक नाकेबंदी के समय जब दोनों देशों के राजनीतिक नेतृत्त्व तनाव में थे, ऐसे में दोनों देशों की सेनाओं ने द्विपक्षीय वार्ताओं को शुरू कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
  - दोनों देशों के बीच मज़बूत सैन्य कूटनीति द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकती है।

निष्कर्ष

वर्तमान में नेपाल की राजनीतिक अनिश्चितता के बीच द्विपक्षीय संबंधों में किसी महत्त्वपूर्ण प्रगति की संभावना बहुत कम है, ऐसे में भारत को नेपाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना को प्रोत्साहित करना चाहिये तथा अपनी लोकप्रिय छवि पुन: स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये। यह नीति विवादित रणनीतिक क्षेत्रों को पुन: प्राप्त करने में भारत के लिये सहायक होगी।

वर्ष 2021 में भारत की विदेश नीति

संदर्भ

किसी भी अन्य देश की तरह ही भारत की विदेश नीति अपने प्रभाव क्षेत्र को व्यापक बनाने, सभी राष्ट्रों में अपनी भूमिका बढ़ाने और एक उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने को स्थापित करने की परिकल्पना करती है। वर्ष 2021 विदेश नीति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये कई चुनौतियाँ और अवसर प्रस्तुत करता है। जैसे कि दक्षिण एशिया में एक बड़ी शक्ति के रूप में चीन का उदय और भारत के पड़ोसी देशों पर इसका बढ़ता प्रभाव भारत के लिये एक बड़ी चिंता का कारण है। इसके अतिरिक्त हाल ही में चीन तथा यूरोपीय संघ के बीच निवेश समझौते पर हुई चर्चाओं ने COVID-19 महामारी के बाद चीन के अलग-थलग पड़ने से जुड़े मिथक को भी समाप्त किया है, साथ ही इसने चीन की स्थिति को और अधिक मज़बूत किया है।

इसके अलावा अमेरिका के साथ बढ़ते समन्वय की तरह ही भारतीय विदेश नीति के कई निर्णयों ने रूस और ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ इसके संबंधों को कमज़ोर किया है। ऐसे में क्षेत्र में शक्ति संतुलन के लिये भारत को विदेश नीति की चुनौतियों से निपटने के साथ उपलब्ध अवसरों का सावधानी पूर्वक लाभ उठाने की आवश्यकता है।

भारत के समक्ष चुनौतियाँ

- एक मज़बूत चीन: चीन एकमात्र प्रमुख देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में वर्ष 2020 के अंत में सकारात्मक वृद्धि दर देखने को मिली, साथ ही वर्ष 2021 में इसमें और भी तेज़ गति वृद्धि होने की उम्मीद है।
  - सैन्य क्षेत्र में भी चीन ने स्वयं को मज़बूत किया है और हाल ही में वर्ष 2021 में अपने तीसरे विमान वाहक पोत को लॉन्च करने की घोषणा के साथ यह हिंद-प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपने प्रभुत्व को मज़बूत करने की दिशा में बढ़ रहा है।
  - इस संदर्भ में हालिया परिस्थितियों को देखते हुए चीन-भारत संबंधों में सुधार की संभावना बहुत कम है, इसके अतिरिक्त दोनों देशों के सशस्त्र बलों के बीच टकराव की स्थिति जारी रहने की उम्मीद है।
- चीन-रूस धुरी की प्रगति: हाल के वर्षों में रूस ने अपनी सीमा के अंदर के मामलों में अधिक रुचि दिखाई है। इसके अतिरिक्त वर्ष 2014 में क्रीमिया पर कब्ज़े के बाद रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों ने रूस को चीन के साथ अपने संबंधों को और अधिक मज़बूत करने के लिये प्रेरित किया है।
  - यह भारत जैसे देशों में रूस की घटती अभिरुचि का संकेत जैसा प्रतीत होता है।
  - साथ ही अमेरिका-भारत के बीच बढ़ती निकटता ने रूस और ईरान जैसे पारंपरिक सहयोगियों के साथ इनके संबंधों को कमज़ोर कर दिया है।
- मध्य-पूर्व के बदलते समीकरण: अमेरिका की मध्यस्थता के तहत इज़रायल और चार अरब देशों- यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान के बीच संबंधों में सुधार का प्रयास इस क्षेत्र में बदलते समीकरण को परिलक्षित करता है।
  - हालाँकि अब्राहम एकार्ड (Abraham Accord) से जुड़े प्रचार और अतिउत्साह के बावजूद यह क्षेत्र पूर्ण स्थिरता की स्थिति से अभी बहुत दूर है तथा इस समझौते ने ईरान एवं इज़रायल के बीच टकराव के जोखिम को कम नहीं किया है।
  - इस क्षेत्र में रणनीतिक अनिश्चितता को देखते हुए ईरान अपनी स्थिति को मज़बूत करने हेतु परमाणु क्षमता का उपयोग करने के लिये प्रेरित हो सकता है।
  - यह भारत के लिये गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है क्योंकि भारत के लिये ईरान एवं इज़रायल दोनों के साथ संबंध बनाए रखना बहुत ही आवश्यक है।
- स्व-अधिरोपित अलगाव: वर्तमान में भारत दो महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय निकायों गुट निरपेक्ष आंदोलन (NAM) और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) से अलग-थलग है, जिसका वह एक संस्थापक सदस्य हुआ करता था।
  - इसके अतिरिक्त भारत ने 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (RCEP) समझौते से भी अलग रहने का विकल्प चुना है।
  - हालाँकि यह स्व-अधिरोपित अलगाव भारत की एक वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा के साथ तालमेल नहीं रखता है।
- पड़ोसी देशों के साथ कमज़ोर होते संबंध: अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का कमज़ोर होना भारतीय विदेश नीति के लिये एक बड़ी चिंता का विषय रहा है।
  - इसे श्रीलंका के संदर्भ में चीन की 'चेकबुक कूटनीति' (Chequebook Diplomacy), NRC के मुद्दे पर बांग्लादेश के साथ संबंधों में तनाव और नेपाल द्वारा नया मानचित्र जारी किये जाने के कारण दोनों देशों के बीच सीमा विवाद आदि के रूप में देखा जा सकता है।

आगे की राह

- पड़ोस प्रथम या नेबरहुड फर्स्ट नीति: श्रृंखलाबद्ध कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से भारत को बांग्लादेश, म्याँमार और श्रीलंका जैसे अपने कुछ पड़ोसियों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करना चाहिये।

- जैसे-जैसे विश्व इस महामारी से उबर है, भारत को वर्ष 2021 में अपने पड़ोसियों के बीच वैक्सीन कूटनीति के माध्यम से एक मज़बूत बढ़त बनाने का अवसर प्राप्त हुआ है। इसके तहत भारत अपनी वैक्सीन उत्पादन क्षमता के माध्यम से पड़ोसी देशों को मुफ्त या वहनीय दरों पर वैक्सीन की आपूर्ति कर सकता है।

- पर्याप्त मात्रा में वाह्य सहयोग: चीन के साथ हालिया सैन्य गतिरोध ने वर्ष 1963 में पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा व्यक्त धारणा की पुष्टि की है कि भारत को "पर्याप्त मात्रा में बाहरी सहायता"(External Aid in Adequate Measure) की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में भारत को फ्रांँस, जर्मनी और यूके जैसे यूरोपीय देशों के नेताओं के अलावा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया से निरंतर समर्थन की आवश्यकता होगी।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता: वर्तमान में जब भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में एक अस्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपने दो वर्षीय कार्यकाल की शुरुआत कर रहा है, ऐसे में इस मंच के माध्यम से भारत को तिब्बत से लेकर ताइवान तक चीन की आक्रामकता, ईरान-सऊदी प्रतिद्वंद्विता, बांग्लादेश और म्याँमार के बीच शरणार्थी संकट आदि जैसे सभी महत्त्वपूर्ण वैश्विक मामलों को उठाना चाहिये।
  - भारत को केवल पाकिस्तान को अलग-थलग करने पर ही अपने ध्यान को सीमित करने से बचना चाहिये, क्योंकि यह भारत को वैश्विक नेतृत्व के रूप में स्वयं को स्थापित करने की उसकी आकांक्षा को विचलित कर सकता है।
- अमेरिका के साथ सहयोग: चूँकि क्वाड (QUAD) और हिंद-प्रशांत रणनीति (Indo-Pacific Strategy) का भविष्य अमेरिका के नए प्रशासन के दृष्टिकोण पर भी निर्भर करेगा, ऐसे में भारत के लिये आवश्यक है कि अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते रणनीतिक और रक्षा संबंधों को मज़बूत करने के साथ ही व्यापार तथा वीज़ा मुद्दों को भी शीघ्र हल करे।

निष्कर्ष

वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य की बदलती वास्तविकताओं के बीच यदि भारत मात्र एक आकांक्षी भागीदार के बजाय एक अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित करना चाहता है तो उसे अपनी विदेश नीति के साथ सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा।

सार्क का पुनः प्रवर्तन

संदर्भ

गौरतलब है कि पिछले छह वर्षों में (वर्ष 2014 के शिखर सम्मेलन के बाद से) दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) देशों के शीर्ष नेताओं ने समूह की किसी बैठक में हिस्सा नहीं लिया। पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और सीमा संबंधी मुद्दों पर भारत का विवाद तथा समूह के सदस्यों के बीच संपर्क एवं व्यापार को बढ़ावा देने वाली सार्क पहलों को अवरुद्ध करने में पाकिस्तान की भूमिका आदि कुछ ऐसे प्रमुख कारण रहे हैं जिसके कारण अपनी स्थापना के 36 वर्ष बाद भी सार्क एक निष्क्रिय संगठन सा प्रतीत होता है। हालाँकि भारत स्वयं को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने की आकांक्षा रखता है, जिसके लिये इसे अपने पड़ोस को शांतिपूर्ण, समृद्ध बनाने के साथ ही इन देशों के बीच परस्पर सहयोग की भावना को मज़बूत करना चाहिये। इस संदर्भ में सार्क को पुनर्जीवित करना बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है।

सार्क को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता

- क्षेत्रीय अलगाव: पिछले एक वर्ष में भारत-पाकिस्तान विवाद के मुद्दे ने भी सार्क की बैठकों को प्रभावित किया है। सदस्य देशों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के बीच व्यापार या अन्य गतिविधियों के दौरान दक्षिण एशिया के एक सामूहिक संगठन की बजाय इसका व्यवहार एक खंडित समूह के रूप में देखा गया है।
  - विश्व में कोई भी अन्य क्षेत्रीय शक्ति अपने निकटवर्ती पड़ोस या देशों से इतनी अलग नहीं है, जितना कि दक्षिण एशिया में भारत है।
  - यह अलगाव भारत के आर्थिक और सुरक्षा हितों के लिये भी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है।

- COVID-19 का प्रभाव: वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर देखे गए नकारात्मक परिणामों के अलावा COVID-19 का एक दुष्प्रभाव यह भी रहा है कि इसके कारण देशों के बीच 'वैश्वीकरण' को लेकर अरुचि बढ़ी है, वहीं राष्ट्रवाद, आत्म-निर्भरता और स्थानीय आपूर्ति शृंखलाओं के लिये प्राथमिकता में भी वृद्धि हुई है।
  - हालाँकि देशों के लिये वैश्विक बाज़ार से स्वयं को पूरी तरह से अलग करना असंभव होगा, परंतु यह क्षेत्रीय पहल वैश्वीकरण और अति-राष्ट्रवाद के बीच एक स्पष्ट विभाजन को निर्धारित करेगी।
  - इसके अतिरिक्त इस महामारी के कारण उत्पन्न साझा चुनौतियों का मुकाबला करने के लिये भी सार्क समूह को पुनर्जीवित किया जाना बहुत महत्त्वपूर्ण है।
  - विश्व बैंक (World Bank) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अकेले इस महामारी के कारण ही दक्षिण एशियाई देशों को लगभग 10.77 मिलियन नौकरियों के साथ जीडीपी के संदर्भ में 52.32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षति होने का अनुमान है।
- चीन की चुनौती: वर्तमान में यह स्पष्ट है कि पाकिस्तान और नेपाल के साथ तनाव चीन से खतरे की धारणा को बढ़ाता है, जबकि अन्य सार्क सदस्य, जो सभी (भूटान को छोड़कर) चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) का हिस्सा हैं, को व्यक्तिगत रूप से सहायता पहुँचाना एक बड़ी चुनौती होगी।
  - इसके अतिरिक्त वर्तमान महामारी के दौरान चीन द्वारा अपनी 'हेल्थ सिल्क रोड' (Health Silk Road) की पहल के तहत अधिकांश सार्क देशों को दवाइयाँ, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) किट भेजने के साथ ही वैक्सीन उपलब्ध कराने का वादा किया गया है
  - ऐसे में चीन की चुनौती (भारत की सीमा और उसके पड़ोस में) से निपटने के लिये एक एकीकृत दक्षिण एशियाई मंच भारत का सबसे शक्तिशाली प्रतिवादी बना हुआ है।

आगे की राह

- पाकिस्तान के साथ वार्ता: लद्दाख में चीन की घुसपैठ की घटना ने भारत को शंघाई सहयोग संगठन (SCO), रूस-भारत-चीन (Russia-India-China- RIC) त्रिपक्षीय समूह, G-20 में चीनी नेतृत्व के साथ बैठकों में शामिल होने से नहीं रोका।
  - यह सही नहीं है कि भारत इसी तर्क (पाकिस्तानी घुसपैठ) का प्रयोग पाकिस्तान के साथ वार्ताओं को रद्द करने के लिये करता है।
    - भारत को समझना चाहिये कि सार्क को पुनर्जीवित करने के लिये पाकिस्तान के साथ वार्ताओं को जारी रखना बहुत महत्त्वपूर्ण है।
- गुजराल सिद्धांत का अनुप्रयोग: भारत द्वारा अपने निकटवर्ती पड़ोसियों के साथ संबंधों के संचालन को गुजराल सिद्धांत/डॉक्ट्रिन (Gujral Doctrine) द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिये।
  - वर्तमान COVID-19 महामारी के संदर्भ में भारत सार्क देशों के साथ वैक्सीन कूटनीति अपनाकर गुजराल सिद्धांत लागू कर सकता है, जिसके तहत भारत या तो मुफ्त में या वहनीय लागत पर इन देशों को COVID-19 वैक्सीन की आपूर्ति कर सकता है।
- समग्र दक्षिण एशिया दृष्टिकोण: दक्षिण एशियाई देशों को विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित साझा मानकों को निर्धारित करने और नौकरी, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा हेतु एक अधिक अंतर-क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक रूप से काम करने की आवश्यकता है।
  - इस संदर्भ में भारत क्षेत्रीय एकीकरण के यूरोपीय मॉडल का अनुसरण कर सकता है।
  - इसके अतिरिक्त भारत अपने पड़ोसी देशों के छात्रों के लिये शिक्षा के केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मज़बूत कर सकता है। यह पहल राजनीतिक संबंधों की घनिष्ठता बढ़ाने के साथ ही आसपास के क्षेत्र में भारत के सांस्कृतिक प्रभावों और मूल्यों के प्रचार-प्रसार में सहायक होगा।
- क्षेत्रीय विकास: दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के नाते भारत इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिये बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं की शुरुआत कर सकता है, जिसमें नई पाइपलाइनों व बिजली नेटवर्क का निर्माण, बंदरगाह, रेल और हवाई अड्डे के बुनियादी ढाँचों को अपग्रेड करना तथा नागरिक संपर्क को मज़बूत करना आदि शामिल हैं।

निष्कर्ष

वर्तमान में भारत को ऐसा दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है जिसके तहत वह अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसी देशों के साथ साझा भविष्य की परिकल्पना करते हुए उन्हें वैश्विक मंच पर भारत की महत्त्वाकांक्षाओं के लिये एक उत्प्रेरक शक्ति के रूप में कार्य करता हुआ देख सके।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

इलेक्ट्रिक वाहन संभावनाएँ और चुनौतियाँ

सदर्भ

हाल ही में भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन (EV) बाज़ार में महत्त्वपूर्ण भूमिका रखने वाली अमेरिकी कार निर्माता कंपनी 'टेस्ला' (Tesla) को भारत में परिचालन कार्य शुरू करने की अनुमति दी गई है। इस निर्णय के बाद वर्ष 2021 के शुरूआती महीनों में ही टेस्ला के भारतीय बाज़ार में कदम रखने का अनुमान है। सरकार का यह कदम भारतीय ऑटोमोबाइल क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है।

टेस्ला के भारतीय बाज़ार में प्रवेश करने के साथ ही आने वाले समय में इसके कारण EV क्षेत्र पर शोध और नवोन्मेष के लिये निवेश में वृद्धि देखी जा सकती है तथा भारत इलेक्ट्रिक वाहनों (जैसे- कार, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर आदि) के क्षेत्र में प्रमुख निर्माता देश बनकर उभर सकता है।

इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के लिये दिये जाने वाले तर्क बहुत ही सीधे और स्पष्ट हैं, जिनमें बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करना तथा ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियाँ (खनिज तेल आयात पर निर्भरता) आदि जैसे कारक शामिल हैं। हालाँकि इलेक्ट्रिक वाहनों को व्यापक स्तर पर अपनाए जाने के मार्ग में अभी भी कई बाधाएँ है, ऐसे में परिवहन क्षेत्र के इस बड़े बदलाव को प्रोत्साहित करने के लिये विभिन्न स्तरों पर सरकार के समर्थन की आवश्यकता होगी।

इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ

ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) द्वारा जारी एक विश्लेषण के अनुसार, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से प्रदूषण में गिरावट के साथ, तेल के आयात में कमी लाने, कार्बन उत्सर्जन और सड़क जाम में कमी करने में सहायता प्राप्त होगी।

- प्रदूषण नियंत्रण: 'वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट (World Air Quality Report), 2019' के अनुसार, वायु प्रदूषण के मामले में विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित 30 शहरों में से 21 भारत में हैं। इन शहरों में अधिकांश प्रदूषण को वाहनों से होने वाले उत्सर्जन से जोड़कर देखा जा सकता है।
  - इस संदर्भ में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने से कुल उत्सर्जन में गिरावट आएगी और साथ ही यह पेरिस समझौते (Paris Agreement) के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होगा।
- ऊर्जा सुरक्षा: परिवहन क्षेत्र में यह बदलाव देश के लिये तेल आयात की निर्भरता को कम करने के प्रयासों को मज़बूती प्रदान करेगा।
  - गौरतलब है कि देश भर में वाहन खरीदने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि के साथ ही तेल की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है।
  - वर्तमान में वैश्विक बाज़ार में तेल के मूल्यों की अस्थिरता के कारण पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में तीव्र परिवर्तन देखा जा रहा है ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन धन की बचत के लिये एक उपयुक्त विकल्प हो सकते हैं।

इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी चुनौतियाँ

- चार्जिंग अवसंरचना की कमी: इलेक्ट्रिक वाहनों में सबसे बड़ी समस्या बैटरी की सीमित रेंज (एक बार चार्ज करने पर अधिकतम दूरी तय करने की क्षमता) का होना है। ऐसे में पर्याप्त संख्या में चार्जिंग पॉइंट्स का न होना एक बड़ी समस्या है।
  - इसके अतिरिक्त वाहनों की चार्जिंग में भी काफी समय लगता है, जो डीज़ल/पेट्रोल वाहन मालिकों के लिये इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने की दिशा में एक और चुनौती प्रस्तुत करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन की सीमित संख्या के विपरीत पारंपरिक ईंधन पंप की संख्या अधिक होने के कारण वे बड़ी आसानी से ही मिल जाते हैं।
- इलेक्ट्रिक वाहनों की उच्च लागत: खनिज तेल से चलने वाले पारंपरिक वाहनों की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत बहुत अधिक होती है। इसका प्रमुख कारण इलेक्ट्रिक वाहनों में लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरियों का उपयोग किया जाना है।

- इसके अतिरिक्त लिथियम के अधिकांश भंडार कुछ ही देशों में स्थित हैं। उदाहरण के लिये विश्व में कुल ज्ञात लिथियम भंडार का 65% बोलिविया और चिली में स्थित हैं तथा इसी प्रकार 60% ज्ञात कोबाल्ट भंडार कॉन्गो में स्थित है।
- इन अतिआवश्यक धातुओं की सीमित आपूर्ति ने इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में काफी वृद्धि की है।
- इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी समस्या यह है कि वर्तमान में सड़कों पर मौजूद पारंपरिक वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने के लिये विश्व में पर्याप्त लीथियम और कोबाल्ट भंडार नहीं हैं।

- चीन पर निर्भरता: गौरतलब है भारतीय कारों में 10-15% चीन से आयात किये गए कल-पुर्जों का प्रयोग किया जाता है, जबकि भारत द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर के लगभग 90% पुर्जों का आयात चीन से किया जाता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक कारों और अन्य वाहनों के कारण चीन पर भारत की निर्भरता 70% या इससे भी अधिक बढ़ सकती है।
  - इसके अतिरिक्त स्थानीय बैटरी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना में भी कई चुनौतियाँ हैं, जैसे कि स्थानीय विनिर्माण इकाइयों के माध्यम से सब्सिडी प्राप्त आयातित बैटरियों के मूल्य से बराबरी कर पाना आसान नही होगा।
- ऑटोमोबाइल क्षेत्र में व्यवधान: व्यापक पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाए जाने से पहले भारत को ऑटोमोबाइल क्षेत्र में आने वाले बदलाव के लिये स्वयं को तैयार करना होगा।
  - एक इलेक्ट्रिक वाहन में सामान्यत: लगभग 20 गतिशील पुर्जे होते हैं, जबकि पारंपरिक डीज़ल/पेट्रोल वाहन में 2000 से अधिक पुर्ज़े होते हैं।
  - ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन पारंपरिक वाहन कलपुर्ज़ों के निर्माण और व्यापार से जुड़े उद्यमों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।

आगे की राह

- चार्जिंग तंत्र अवसंरचना का विस्तार: इलेक्ट्रिक वाहनों की व्यापक स्वीकार्यता को सुलभ बनाने हेतु चार्जिंग तंत्र अवसंरचना के विस्तार के लिये सरकार का सहयोग आवश्यक होगा।
  - वहनीय और सुविधाजनक चार्जिंग ही उपभोक्ताओं के लिये इस इलेक्ट्रिक वाहनों के आकर्षण को बढ़ाएगी।
- बैटरी हस्तांतरण प्रणाली: चार्जिंग की समस्या से निपटने के लिये हस्तांतरणीय बैटरियों और स्विचिंग स्टेशन की स्थापना एक उपयुक्त विकल्प हो सकता है।
  - बैटरियों की चार्जिंग एक बड़ी समस्या रही है क्योंकि इसमें काफी समय लग सकता है। अत: एक ऐसे तंत्र की स्थापना की आवश्यकता होगी, जहाँ कुछ ही मिनटों में इलेक्ट्रिक वाहनों की डिस्चार्ज या खाली हुई बैटरियों को फुल चार्ज बैटरियों से बदला जा सकेगा।
- उन्नत बैटरी तकनीकी में शोध और विकास: कम समय में तेज़ी से चार्ज होने वाली बैटरियों पर शोध और विकास में निवेश किया जाना बहुत ही आवश्यक है।
  - इस संदर्भ में फ्यूल सेल का प्रयोग भी एक सकारात्मक विकल्प हो सकता है। गौरतलब है कि हाइड्रोजन से चलने वाली फ्यूल सेल कार में उपोत्पाद के रूप में केवल गर्म हवा और जलवाष्प ही प्राप्त होता है।
- आवश्यक धातुओं की निर्बाध आपूर्ति: बैटरी निर्माण हेतु आवश्यक धातुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये भारत अन्य देशों से समझौते पर हस्ताक्षर कर सकता है या भारत द्वारा चिली, कॉन्गो, बोलिविया और ऑस्ट्रेलिया में खदानों को खरीदने पर विचार किया जा सकता है।
- पुनर्प्रशिक्षण: इलेक्ट्रिक वाहनों में वृद्धि के साथ ही भारत को वाहन मैकेनिकों को चौथी औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों की मरम्मत करने हेतु आवश्यक प्रशिक्षण के साथ उन्नत इलेक्ट्रिक उपकरण भी रखने होंगे।

निष्कर्ष

वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों का भविष्य बहुत ही उज्ज्वल दिखाई देता है क्योंकि यह खनिज तेल पर हमारी निर्भरता को कम करने में सहायक हो सकता है, जो वैश्विक प्रदूषण को बड़े पैमाने पर कम करने के साथ जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने में सहायक हो सकता है। इलेक्ट्रिक कारों के संदर्भ में उनकी ऊर्जा (विद्युत) भंडारण क्षमता सबसे बड़ी चुनौती रही है। यह एक मुख्य कारण था जिसके चलते पिछली शताब्दी में डीज़ल/पेट्रोल कारों को प्रमुखता प्राप्त हुई। इलेक्ट्रिक वाहन परिवहन क्षेत्र का भविष्य हो सकते हैं परंतु इसके लिये किफायती और अगली पीढ़ी की बैटरी तकनीकी का उपलब्ध होना बहुत ही आवश्यक होगा।

नोट :

राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति का मसौदा

संदर्भ

COVID-19 महामारी ने विश्व के समक्ष इस तथ्य को उजागर किया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान को पहले की तुलना में अधिक गंभीरता से लेना होगा। भारत में इस महामारी ने अनुसंधान और विकास से जुड़े संस्थानों, शिक्षाविदों तथा उद्योगों को एक साझा उद्देश्य, तालमेल, सहयोग एवं समन्वय के साथ काम करने का अवसर प्रदान किया है।

हाल के वर्षों में समाज में इस बात की समझ और स्वीकार्यता बढ़ी है कि विज्ञान के माध्यम से समाज की कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है, इसी के तहत भारत सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति [National Science, Technology and Innovation Policy (STIP)] 2020' का मसौदा जारी किया गया है। STIP आने वाले दशक में भारत को विश्व की शीर्ष तीन वैज्ञानिक महाशक्तियों के बीच स्थापित करने के दृष्टिकोण से निर्देशित होगी। इसके अतिरिक्त यह नीति आत्मनिर्भर भारत के वृहत लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु भारत के STI पारिस्थितिकी तंत्र को मज़बूत करने के लिये आवश्यक रणनीतियों को रेखांकित करती है।

नीति में शामिल नए विचार और उनका महत्त्व

- ओपन साइंस फ्रेमवर्क और समावेशन: ओपन साइंस अनुसंधान में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ इसके परिणामों को अधिक-से-अधिक लोगों तक पहुँचाने के माध्यम से विज्ञान में अधिक न्यायसंगत भागीदारी को बढ़ावा देता है।
  - इसके अतिरिक्त न्यूनतम प्रतिबंध और उत्पादकों तथा उपयोगकर्त्ताओं के बीच ज्ञान के निरंतर आदान-प्रदान के माध्यम से यह संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करेगा।
  - यह ढाँचा मुख्य रूप से समुदाय-संचालित होने के साथ ही आवश्यक संस्थागत तंत्र तथा परिचालन साधनों से समर्थित होगा।
- एक देश, एक सदस्यता: STIP एक केंद्रीय भुगतान तंत्र के माध्यम से प्रत्येक भारतीय को सभी पत्रिकाओं (भारतीय और विदेशी) तक नि:शुल्क पहुँच प्रदान करने की परिकल्पना करता है।
  - वर्तमान में प्रमुख सरकारी विभाग, अन्वेषकों, उद्योग आदि जैसे उपभोक्ताओं की इन शोध पत्रिकाओं तक व्यापक पहुँच नहीं है।
  - ऐसे में यह नीति न सिर्फ शोधकर्त्ताओं को बल्कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को विद्वत्तापूर्ण ज्ञान तक पहुँच प्रदान कर विज्ञान का लोकतंत्रीकरण करने का प्रयत्न करती है।
- विज्ञान और लैंगिक समानता: भारत द्वारा प्राचीन काल से ही विज्ञान और शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी को महत्त्व दिया गया है।
  - लीलावती, गार्गी और खाना सहित कई अन्य शुरुआती महिला वैज्ञानिकों ने गणित, प्राकृतिक विज्ञान और खगोल विज्ञान में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया।
  - पिछले छह वर्षों में भारत में अनुसंधान और विकास (R&D) के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी दोगुनी हो गई है; हालाँकि R&D में महिलाओं की कुल भागीदारी मात्र 16% ही है।
  - ऐसे में यह नीति जैविक/भौतिक आयु की बजाय शैक्षिक आयु/अनुभव को मुख्य कारक मानकर कामकाज़ी महिलाओं द्वारा ली गई छुट्टियों के कारण उनके पेशेवर जीवन में आए अंतराल की चुनौती को दूर करते हुए लैंगिक समानता लाने की परिकल्पना करती है।
  - इसके अतिरिक्त यह नीति एक समावेशी संस्कृति की परिकल्पना प्रस्तुत करती है, जिसे ग्रामीण-दूरदराज़ के क्षेत्रों, हाशिये के समुदायों, दिव्यांगजनों आदि उम्मीदवारों को उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी।
- पारंपरिक ज्ञान और मौलिकता: यह नीति पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों (Traditional Knowledge Systems-TKS) और ज़मीनी स्तर के नवोन्मेष को समग्र शिक्षा, अनुसंधान तथा नवाचार प्रणाली में एकीकृत करने के लिये एक संस्थागत अवसंरचना की स्थापना की परिकल्पना करती है।
  - स्वदेशी ज्ञान पर ध्यान केंद्रित करने का यह विशेष प्रयास भारत को विश्व स्तर पर स्थापित करने में सहायक हो सकता है, क्योंकि यह आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी द्वारा समर्थित प्राचीन ज्ञान की अद्वितीय प्रौद्योगिकियों तथा योग्यता पर आधारित होगा ।

नोट :

- **सहयोग और शोध की सुगमता:** प्रस्तावित विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार वेधशाला (Science Technology Innovation Observatory) की इस सहभागिता हेतु नेटवर्क में एक महत्त्वपूर्ण प्रशासनिक भूमिका होगी।
  - इसके अतिरिक्त चुने हुए रणनीतिक क्षेत्रों में प्रत्यक्ष दीर्घकालिक निवेश को बढ़ावा देने हेतु कायिक निधि या कॉर्पस फंड की सुविधा के लिये एक 'एसटीआई विकास बैंक' (STI Development Bank) की स्थापना की जाएगी।

आगे की राह

- **परिचालन क्लस्टर:** आने वाले समय में जब भी यह मसौदा नीति वास्तविक प्रक्रिया का आकार लेगी, तो इसमें क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण को शामिल किये जाने पर अवश्य ही ध्यान दिया जाना चाहिये।
  - क्लस्टर में आपूर्तिकर्त्ता, निर्माता, ग्राहक, श्रम बाज़ार, वित्तीय मध्यस्थ, पेशेवर और उद्योग संघ, नियामक संस्थान तथा सरकारी विभाग सहित कई संगठन शामिल होते हैं।
  - ये एक विशिष्ट डोमेन में मज़बूत विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान क्षमताओं के विकास को बढ़ावा देने के साथ ही इन क्षमताओं को अनुप्रयोगों में बदलने में सहायता करते हैं।
  - कैलिफोर्निया (अमेरिका) स्थित सिलिकॉन वैली इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर क्लस्टर का एक उदाहरण है।
- **अनुसंधान के लिये निधि में वृद्धि:** वर्तमान में अनुसंधान और विकास पर भारत का सकल घरेलू व्यय (Gross Domestic Expenditure on R&D-GRED) इसके सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का मात्र 0.6% है जो अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के GERD-GDP अनुपात (1.5% से 3%) की तुलना में अपेक्षाकृत कम है।
  - देश में अनुसंधान और विकास (R&D) पर होने वाले खर्च को बढ़ाने का एक तरीका यह है कि इसे कंपनियों द्वारा निवेश के लिये आकर्षक बनाया जाए।
  - इस संदर्भ में नौकरशाही में सुधार के साथ 'कर लाभ' और नई कंपनियों के लिये बाज़ार पहुँच को आसान बनाने पर भी विचार किया जाना चाहिये।
- **नवीन प्रौद्योगिकी में अनुसंधान:** नवीन प्रौद्योगिकियाँ जिन्हें सामूहिक रूप से औद्योगिक क्रांति 4.0 कहा जाता है, निस्संदेह विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य का भविष्य हैं।
  - भारत को अवश्य ही इन परिवर्तित और प्रभावकारी प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाना चाहिये।
  - इन संबद्ध तकनीकों पर अधिक शोध को बढ़ावा देना कई उद्योगों जैसे-रक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है।
- **विज्ञान कूटनीति:** भारत को अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहभागिता के साथ 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार कूटनीति' (STIP diplomacy) में अपनी सक्रियता बढ़ानी चाहिये।
  - यह स्वदेशीकरण के दायरे को बढ़ाने और राष्ट्रीय उन्नति को स्थिरता प्रदान करने के साथ वैश्विक साझा हितों को बढ़ावा देते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहभागिता के माध्यम से सामूहिक तथा समावेशी वैश्विक विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा।

निष्कर्ष

हाल के वर्षों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार विकास के क्षेत्र में भारत की प्रगति प्रभावशाली रही है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में शीर्ष 50 देशों के समूह में 48वीं रैंक (वर्ष 2015 के 81वें स्थान में भारी सुधार) के साथ भारत का प्रवेश इस क्षेत्र में भारत की क्षमता और इसके सकारात्मक भविष्य को रेखांकित करता है।

इस उपलब्धि को जारी रखने के लिये 'विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति के मसौदे' में कई प्रगतिशील प्रस्ताव शामिल किये गए हैं, जो वैज्ञानिक अनुसंधान समुदाय के साथ-साथ सामान्य भारतीयों द्वारा विज्ञान को समझने एवं दैनिक जीवन में इसे लागू करने के तरीकों में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं।

नोट :

पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण

आर्कटिक पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

संदर्भ

आर्कटिक क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का सबसे नाटकीय रूप देखा जा रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक औसत से दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। आर्कटिक की बर्फ के क्षेत्रफल में लगभग 75% की कमी देखी गई है। जैसे-जैसे आर्कटिक की बर्फ पिघलकर समुद्र में पहुँच रही है यह प्रकृति में एक नई वैश्विक चुनौती खड़ी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ यह परिवर्तन उत्तरी सागर मार्ग (Northern Sea Route-NSR) को खोल रहा है जो एक छोटे ध्रुवीय चाप के माध्यम से उत्तरी अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ता है। कई पृथ्वी अवलोकन अध्ययनों का अनुमान है कि यह मार्ग वर्ष 2050 की गर्मियों तक या उससे पहले ही बर्फ मुक्त हो सकता है।

हालाँकि NSR के पूर्ण व्यवसायीकरण से पहले वैश्विक समुदाय द्वारा आर्कटिक में पिघल रही बर्फ और इससे संबंधित अन्य चुनौतियों की समीक्षा की जानी चाहिये।

आर्कटिक की पिघलती बर्फ का प्रभाव

- वैश्विक जलवायु: आर्कटिक और अंटार्कटिक विश्व के रेफ्रिजरेटर की तरह काम करते हैं। चूँकि ये क्षेत्र सफेद बर्फ और हिमपात में ढके रहते हैं जो सूर्य से आने वाली गर्मी को अंतरिक्ष में वापस परावर्तित कर देता है (एलबेडो प्रभाव), इस प्रकार ये विश्व के अन्य हिस्सों में अवशोषित गर्मी के सापेक्ष एक संतुलन प्रदान करते हैं।
  - बर्फ का क्षरण और समुद्री जल का गर्म होना समुद्र के स्तर, लवणता के स्तर, समुद्री धाराओं और वर्षा पैटर्न को प्रभावित करेगा।
  - इसके अतिरिक्त बर्फ के क्षेत्रफल में कमी का अर्थ है कि इससे गर्मी के परावर्तन में भी कमी आएगी, जो विश्व भर में लू (Heatwave) की तीव्रता में और अधिक वृद्धि करेगा।
  - इसका अर्थ यह होगा कि ये परिस्थितियाँ अधिक चरम सर्दियों को बढ़ावा देंगी क्योंकि जैसे-जैसे ध्रुवीय जेट प्रवाह गर्म हवाओं के कारण अस्थिर होगा, वैसे ही यह अपने साथ कड़ाके की ठंड लाते हुए दक्षिण की तरफ बढ़ेगा।

- तटीय समुदाय: वर्तमान में औसत वैश्विक समुद्री जल स्तर वर्ष 1900 की तुलना में 7 से 8 इंच बढ़ चुका है और यह स्थिति लगातार गंभीर होती जा रही है।
  - बढ़ता समुद्री जल स्तर तटीय बाढ़ और तूफान के मामलों में तीव्रता लाते हुए तटीय शहरों और छोटे द्वीपीय देशों के लिये उनके अस्तित्व को खोने का खतरा उत्पन्न करता है।
  - ग्रीनलैंड में हिमनद का पिघलना भविष्य में समुद्र-स्तर की वृद्धि के लिये एक महत्त्वपूर्ण चेतावनी है, यदि यहाँ के हिमनद पूरी तरह से पिघल जाते हैं, तो यह वैश्विक समुद्र स्तर में 20 फीट तक की वृद्धि कर सकता है।
- खाद्य सुरक्षा: हिमनदों के क्षेत्रफल में गिरावट के कारण ध्रुवीय चक्रवात, लू की तीव्रता और मौसम की अनिश्चितता में वृद्धि के कारण पहले ही फसलों को काफी नुकसान पहुँच रहा है, जिस पर वैश्विक खाद्य प्रणालियाँ निर्भर हैं।
  - इस अस्थिरता के कारण विश्व के सबसे कमज़ोर वर्ग के लिये उच्च कीमतों के साथ खाद्य असुरक्षा का संकट बना रहेगा।
- पर्माफ्रॉस्ट और ग्लोबल वार्मिंग: आर्कटिक क्षेत्र में पर्माफ्रॉस्ट के नीचे बड़ी मात्रा में मीथेन गैस संरक्षित है जो कि एक ग्रीनहाउस गैस होने के साथ ही जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारकों में से एक है।
  - इस क्षेत्र में बर्फ के पिघलने के कारण मीथेन मुक्त होकर वायुमंडल में मिल जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की दर में तीव्र वृद्धि होगी।
  - जितनी जल्दी आर्कटिक बर्फ के क्षेत्रफल में कमी होगी, उतनी ही तेज़ी से पर्माफ्रॉस्ट भी पिघलेगा और यह दुष्चक्र जलवायु को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा।
- जैव विविधता के लिये खतरा: आर्कटिक की बर्फ का पिघलना इस क्षेत्र की जीवंत जैव विविधता के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न करता है।
  - प्राकृतिक आवास को होने वाली हानि और इसके क्षरण, वर्ष भर बर्फ मौजूद न होना तथा उच्च तापमान की स्थिति आदि आर्कटिक क्षेत्र के पौधों, पक्षियों और समुद्री जीवों की उत्तरजीविता के लिये मुश्किलें पैदा कर रही हैं, जो कम अक्षांशों से प्रजातियों को उत्तर की ओर स्थानांतरित होने के लिये प्रोत्साहित करती है।
  - बर्फ के क्षेत्रफल में गिरावट और पर्माफ्रॉस्ट का पिघलना ध्रुवीय भालू, वालरस, आर्कटिक लोमड़ियों, बर्फीले उल्लू, हिरन और कई अन्य प्रजातियों के लिये परेशानी का कारण बन रहा है।
  - टुंड्रा क्षेत्र का दलदल में बदलना, पर्माफ्रॉस्ट के विगलन, अचानक आने वाले तूफानों के कारण तटीय इलाकों को होने वाली क्षति और वनाग्नि की वजह से कनाडा एवं रूस के आंतरिक भागों में भारी तबाही के मामलों में वृद्धि हुई है।

दूसरा पहलू और उत्तरी सागर मार्ग (NSR)

- NSR के माध्यम से आर्कटिक का खुलना पर्याप्त वाणिज्यिक और आर्थिक अवसर (विशेष रूप से शिपिंग, ऊर्जा, मत्स्य पालन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में) प्रस्तुत करता है।
  - इस मार्ग के खुलने से रॉटर्डम (नीदरलैंड) से योकोहामा (जापान) की दूरी में 40% की कटौती (स्वेज नहर मार्ग की तुलना में) होगी।
  - एक अनुमान के अनुसार, विश्व में अभी तक न खोजे गए नए प्राकृतिक तेल और गैस के भंडारों में से 22% आर्कटिक क्षेत्र में हैं, साथ ही अन्य खनिजों के अतिरिक्त ग्रीनलैंड में विश्व के 25% दुर्लभ मृदा धातुओं के होने का अनुमान है। बर्फ के पिघलने के बाद इन बहुमूल्य खनिज स्रोतों तक आसानी से पहुँचा जा सकेगा।

चुनौतियाँ

- NSR की पर्यावरणीय और आर्थिक व्यावहारिकता: गहरे पानी वाले बंदरगाहों की कमी, बर्फ तोड़ने वाले जहाज़ों की आवश्यकता, ध्रुवीय परिस्थितियों के लिये प्रशिक्षित श्रमिकों की कमी और उच्च बीमा लागत आर्कटिक के संसाधनों के दोहन हेतु कठिनाइयों को बढ़ाता है।
- इसके अलावा खनन और गहरे समुद्र में ड्रिलिंग कार्य में भारी आर्थिक और पर्यावरणीय जोखिम बना रहता है।
- वैश्विक समन्वय का अभाव: अंटार्कटिका के विपरीत आर्कटिक विश्व की साझी संपदा नहीं है और इस क्षेत्र पर अंतर्राष्ट्रीय शासन को बनाए रखने वाली कोई अधिमान्य संधि [संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि (UNCLOS) को छोड़कर] भी नहीं है।

- इसके अधिकांश बड़े हिस्से पाँचों तटीय देशों- रूस, कनाडा, नॉर्वे, डेनमार्क (ग्रीनलैंड) और अमेरिका की संप्रभुता के अधीन हैं तथा नए संसाधनों के दोहन का अधिकार भी उन्हें ही प्राप्त है।
- ऐसे में राष्ट्रीय आर्थिक हित आर्कटिक संरक्षण के वैश्विक प्रयासों को प्रभावित कर सकते हैं।

- भू-राजनीति का प्रभाव: इस क्षेत्र में विस्तारित महाद्वीपीय भागों और समुद्र की तलहटी में संसाधनों पर अधिकार के दावों के लिये रूस, कनाडा, नॉर्वे और डेनमार्क के बीच टकराव दिखाई देता है।
  - हालाँकि रूस इस क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति है, जिसके पास सबसे लंबा आर्कटिक समुद्र तट, आधी आर्कटिक आबादी और एक मज़बूत सामरिक नीति है। रूस दावा करता है कि NSR उसकी क्षेत्रीय जल सीमा में आता है।
  - इसके विपरीत अमेरिका का मानना है कि यह मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
  - अपने आर्थिक लाभ को देखते हुए चीन ने 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना' (Belt and Road initiative- BRI) के विस्तार के रूप में एक 'ध्रुवीय सिल्क रोड' की अवधारणा प्रस्तुत की है और साथ ही उसने इस क्षेत्र में बंदरगाहों, ऊर्जा, बुनियादी ढाँचे एवं खनन परियोजनाओं में भारी निवेश किया है।

भारत की भूमिका

- भारत के हित: इन विकासों के संबंध में भारत के हित हालाँकि बहुत सीमित हैं परंतु ये पूर्णतया परिधीय या शून्य भी नहीं हैं।
  - भारत की जलवायु: भारत की व्यापक तटरेखा हमें समुद्र की धाराओं, मौसम के पैटर्न, मत्स्य पालन और हमारे मानसून पर आर्कटिक वार्मिंग के प्रभाव के प्रति संवेदनशील बनाती है।
  - तीसरे ध्रुव की निगरानी: आर्कटिक के बदलावों पर हो रहे वैज्ञानिक अनुसंधान, जिसमें भारत का अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तीसरे ध्रुव (हिमालय) में जलवायु परिवर्तन को समझने में सहायक होगा।
  - रणनीतिक ज़रूरत: आर्कटिक क्षेत्र में चीन की सक्रियता के रणनीतिक निहितार्थ और वर्तमान में रूस के साथ इसके आर्थिक तथा रणनीतिक संबंधों में हो रही वृद्धि सर्वविदित है, अत: वर्तमान में इसकी व्यापक निगरानी की आवश्यकता है।
  - आवश्यक कदम: भारत को आर्कटिक परिषद (Arctic Council) में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है, जो आर्कटिक पर्यावरण और विकास के पहलुओं पर सहयोग के लिये प्रमुख अंतर-सरकारी मंच है।
    - वर्तमान में यह बहुत ही आवश्यक है कि आर्कटिक परिषद में भारत की उपस्थिति को आर्थिक, पर्यावरणीय, वैज्ञानिक और राजनीतिक पहलुओं को शामिल करने वाली सामरिक नीतियों के माध्यम से मज़बूती प्रदान की जाए।

निष्कर्ष

आर्कटिक वैश्विक जलवायु प्रणाली का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण घटक है। ठीक वैसे ही जैसे अमेजन के जंगल दुनिया के फेफड़े हैं, आर्कटिक हमारे लिये संचालन तंत्र की तरह है जो हर क्षेत्र में वैश्विक जलवायु को संतुलन प्रदान करता है। इसलिये यह मानवता के हित में है कि आर्कटिक में पिघल रही बर्फ को एक गंभीर वैश्विक मुद्दा मानते हुए इससे निपटने के लिये मिलकर कार्य किया जाए।

नोट :

सामाजिक न्याय

जल, स्वच्छता और महिला अधिकार

संदर्भ

जल और स्वच्छता के अधिकार को अन्य सभी मानव अधिकारों को प्राप्त करने के लिये मौलिक माना जाता है। हालाँकि वैश्विक स्तर पर 2.1 बिलियन लोगों को अपने घर पर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है, वहीं 2.3 बिलियन लोगों के पास बुनियादी स्वच्छता की सुविधा नहीं है और लगभग 1 बिलियन लोग अभी भी खुले में शौच करते हैं। इन सबके बीच महिलाएँ सबसे सुभेद्य वर्ग का हिस्सा होती हैं। जल, स्वच्छता और सफाई सुविधाओं तक पहुँच की कमी महिलाओं और लड़कियों को असमान रूप से प्रभावित करती है।

घरेलू स्तर पर पेयजल, सफाई और स्वच्छता प्रबंधन के लिये काफी हद तक महिलाएँ ही ज़िम्मेदार होती हैं, अत: इन बुनियादी सेवाओं की कमी के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, सुरक्षा और मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

ऐसे में जल और स्वच्छता तक समान पहुँच महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाती है। परंतु इसकी कमी हर घर और समुदाय में महिलाओं की स्थिति को कमज़ोर कर सकती है।

'जल, सफाई व्यवस्था और स्वच्छता' एवं महिला अधिकारों का परस्पर संबंध

- पेयजल के संदर्भ में महिलाओं का उत्तरदायित्व: अधिकांश घरों में जहाँ पीने के पानी के स्रोत आवासीय परिसर के बाहर हैं, वहाँ पानी लाने की ज़िम्मेदारी महिलाओं और लड़कियों की ही होती है।
  - यह प्रथा महिलाओं के स्वास्थ्य, कार्यभार और उनके द्वारा खर्च की गई कैलोरी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।
  - जब लड़कियों को पानी लाने के लिये लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, तो इसके कारण उन्हें शिक्षा पर ध्यान देने के लिये कम समय उपलब्ध होता है।
  - जल लाने की ज़िम्मेदारी उन पर अवैतनिक घरेलू काम के बोझ में वृद्धि करती है, साथ ही इससे उनको अन्य आयजनक गतिविधियों में शामिल होने हेतु कम समय मिलता है, साथ ही यह उनके अवकाश तथा गैर-व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रभावित करती है।
- स्वच्छता की पहुँच और लिंग-आधारित हिंसा: वर्तमान में स्वच्छता से संबंधित लिंग आधारित हिंसा के पर्याप्त प्रमाण देखने को मिलते हैं जो शौचालय जैसी कई अन्य मूलभूत सुविधाओं की अनुपलब्धता में महिलाओं के लिये उत्पन्न होने वाली चुनौतियों को रेखांकित करते है।
  - साथ ही ऐसी संभावित हिंसा का भय महिलाओं को स्वतंत्र रूप से कहीं भी आने-जाने और उनके लिये समान अवसरों की संभावनाओं को भी प्रभावित करता है।
- जल, स्वच्छता और सफाई आवश्यकताएँ: महिलाओं को मासिक धर्म, गर्भावस्था, प्रसव के बाद की अवधि और बीमार परिवार के सदस्यों या छोटे बच्चों की देखभाल के दौरान जलयोजन (Dehydration), स्वच्छता तथा सफाई के लिये पानी की आवश्यकता अधिक होती है।
  - जब ये बुनियादी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं, तो महिलाएँ और लड़कियाँ समाज में समान रूप से भाग नहीं ले पाती हैं।
- सतत् विकास लक्ष्य (SDG) से संबंध: संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित SDG अपने लक्ष्य 6.2 के माध्यम से 'जल, स्वच्छता और सफाई' (SDG-6) तथा 'लैंगिक समानता व सशक्तीकरण' (SDG-5) को जोड़ने के लिये एक प्रारंभिक पहल करता है।
  - SDG के लक्ष्य 6.2 में स्वच्छता, सफाई तथा महिलाओं की अन्य ज़रूरतों की समान पहुँच पर विशेष ज़ोर दिया गया है।
  - इसके अतिरिक्त SDG-10 के तहत देशों की सीमाओं के भीतर और दो देशों के बीच असमानताओं को कम करने का लक्ष्य रखा गया है।

चुनौतियाँ

- निर्णय लेने में महिला भागीदारी की कमी: घरेलू स्तर पर पेयजल की व्यवस्था के साथ स्वच्छता तथा सफाई में महिलाओं एवं लड़कियों की केंद्रीय भूमिका को स्वीकार किया जाता है।
    - हालाँकि वृहद् रूप में महिलाओं को जल, सफाई और स्वच्छता के प्रबंधन तथा ऐसे संसाधनों पर घरेलू निर्णय लेने का अधिकार बहुत ही कम होता है।
    - उदाहरण के लिये स्वच्छता से संबंधित मामलों जैसे कि शौचालय का निर्माण और उपयोग से जुड़े निर्णयों में महिलाओं का परामर्श नहीं लिया जाता है।
- आँकड़ों की कमी: वर्तमान में इन चुनौतियों के कारण महिलाओं पर पड़ने वाले अतिरिक्त भार या उनके द्वारा उपलब्ध अवसरों का लाभ न उठा पाने के रूप में चुकाई जाने वाली लागत को मापने का कोई विशेष तंत्र मौजूद नहीं है। साथ ही जल, स्वच्छता और सफाई संबंधी निर्णय तथा स्वायत्तता के मामले में महिला सशक्तीकरण के प्रयास भी बहुत सीमित हैं।
- पर्याप्त अवसंरचना का अभाव: भारत के कई हिस्सों में (विशेषकर ग्रामीण भारत में) स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में जल, स्वच्छता और सफाई की व्यवस्था पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं है।
    - स्कूलों में मासिक धर्म की चुनौतियों से निपटने के लिये आवश्यक बुनियादी ढाँचा, गोपनीयता, मार्गदर्शन और आवश्यक सामग्री आदि के अभाव को उत्पीड़न, यौन शोषण, मनोसामाजिक प्रभावों, लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति दर में गिरावट तथा उनके पढ़ाई छोड़ने या ड्रॉप-आउट होने से जोड़कर देखा जाता है।

आगे की राह

- तटस्थ लैंगिक दृष्टिकोण: वर्तमान में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के सतत् प्रबंधन के लिये पुरुषों तथा महिलाओं की भागीदारी की अनिवार्यता को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है।
- महिला नेतृत्त्व के लिये नीतिगत रूपरेखा: जल और स्वच्छता के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व तथा उनके निर्णय लेने की भूमिका बहुत ही महत्त्वपूर्ण हैं। अत: इस क्षेत्र में स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर महिला नेतृत्व तथा इसे बनाए रखने के लिये संसाधनों, प्रशिक्षण एवं राजनीतिक इच्छाशक्ति के समर्थन के साथ एक मज़बूत नीतिगत ढाँचे का होना बहुत ही आवश्यक है।
- स्वच्छ भारत मिशन पर विशेष ध्यान: स्वच्छ भारत मिशन (SBM) के "सत्याग्रह से स्वच्छाग्रह" अभियान की मांग से भारत में स्वच्छता की आदतों में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया है।
    - SBM के अगले चरण में ऐसे स्थायी व्यवहार परिवर्तन के समाधान खोजने की परिकल्पना की जानी चाहिये, जो महिलाओं और उनकी स्वच्छता ज़रूरतों पर केंद्रित हों।
- समाज की भूमिका: महिलाएँ पहले से ही अवैतनिक गतिविधियों में पुरुषों की तुलना में 2.6 गुना अधिक समय खर्च करती हैं, जिसमें देखभाल और घरेलू काम शामिल हैं।
    - जल और स्वच्छता प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका के महत्त्व को रेखांकित करने तथा उनके लिये विकास के समान अवसर उपलब्ध कराने हेतु सामाजिक जागरूकता लाना बहुत ही आवश्यक है।
- स्वयं सहायता समूहों की भूमिका: हाल में देश भर में ऐसे उदाहरणों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है जहाँ महिलाएँ स्वयं सहायता समूहों (SHGs) या सामुदायिक प्रयासों के माध्यम से आगे बढ़ने और बड़े सुधार लाने में सफल रहीं हैं।
    - इसलिये महिला SHGs को जल, स्वच्छता और सफाई का मुद्दा उठाने के लिये बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
    - इस संदर्भ में झारखंड का उदाहरण अनुकरण योग्य है। जहाँ प्रशिक्षित महिला राजमिस्त्रियों ने एक वर्ष के अंदर 15 लाख से अधिक शौचालयों का निर्माण किया और इसकी सहायता से राज्य को 2 अक्तूबर, 2019 की राष्ट्रीय कट-ऑफ तारीख से बहुत पहले ही खुले में शौच मुक्त (ग्रामीण) राज्य घोषित कर दिया गया।

नोट :

निष्कर्ष

वर्तमान में जब विश्व के सभी देश सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में स्वच्छ जल और स्वच्छता की पहुँच इन लक्ष्यों की प्राप्ति तथा व्यापक सामाजिक परिवर्तन में उत्प्रेरक का कार्य कर सकती है। जल और स्वच्छता से जुड़ी नीतियों में महिलाओं को केंद्रीय भूमिका में रखने के साथ ही उन्हें परिवर्तन के एजेंट के रूप में सक्षम बनाना बहुत ही आवश्यक है।

साथ ही वर्तमान में सरकारों, व्यवसायों, गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के लिये यह देखना आवश्यक है कि वे स्थानीय समितियों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक जल, स्वच्छता और सफाई के क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्त्व को मज़बूत करने पर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं।

मानव विकास सूचकांक (HDI)

संदर्भ

मानव विकास सूचकांक (HDI) जिसमें जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुँच और आय या जीवन स्तर के संकेतकों को शामिल किया जाता है, जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्त्वपूर्ण आँकड़े प्रस्तुत करता है। यह सूचकांक भारत और पाकिस्तान के दो प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों 'महबूब उल हक' (पाकिस्तान) और अमर्त्य सेन (भारत) की देन है। शुरुआत में इसे जीडीपी के विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था, क्योंकि यह वृद्धि प्रक्रिया मानव विकास की केंद्रीयता पर ज़ोर देती है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत अपनी अर्थव्यवस्था में कई गुना वृद्धि करने में सफल रहा है परंतु HDI के संदर्भ में भारत का प्रदर्शन बहुत अधिक प्रभावी नहीं रहा है। पिछले तीन दशकों का HDI डेटा देखकर पता चलता है कि HDI स्कोर के संदर्भ में भारत की औसत वार्षिक वृद्धि दर मात्र 1.42% ही रही है।

ऐसे में यदि भारत को एक महाशक्ति बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इसे अपनी आबादी में कमज़ोर वर्गों के सामाजिक और आर्थिक बोझ को कम करने पर विशेष ध्यान देना होगा।

भारत द्वारा मानव विकास के क्षेत्र में सुधार

- संयुक्त राष्ट्र मानव विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट-2019 के अनुसार, वर्ष 2005 से भारत की प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय दोगुने से अधिक हो गई है। साथ ही वर्ष 2005-06 के बाद के दशक में बहुआयामी गरीबों की श्रेणी में आने वाले लोगों की संख्या में 271 मिलियन से अधिक की गिरावट आई है।
- इसके अतिरिक्त मानव विकास के 'बुनियादी क्षेत्रों' में व्याप्त असमानताओं में भी कमी आई है। उदाहरण के लिये ऐतिहासिक रूप से हाशिये पर रहने वाले समूह शिक्षा प्राप्ति के मामले में बाकी आबादी की बराबरी कर रहे हैं।

HDI में भारत के खराब प्रदर्शन का कारण

वर्ष 2019 के मानव विकास सूचकांक में भारत 6,681 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ 131वें स्थान पर रहा, जो वर्ष 2018 (130वें स्थान) की तुलना में भारत को एक स्थान पीछे ले जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता के नकारात्मक प्रभाव का बोझ भारत के इस खराब प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण रहा है, जबकि अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत विश्व की शीर्ष 6 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। इसके अतिरिक्त भारत के इस खराब प्रदर्शन के अन्य प्रमुख कारणों में से कुछ निम्नलिखित हैं:

- आय असमानता में वृद्धि: आय के मामले में बढ़ती असमानता मानव विकास के अन्य मानकों में खराब प्रदर्शन का कारण बनती है। उच्च आय असमानता वाले देशों में पीढ़ीगत आय गतिशीलता में भी कमी देखी गई है।
  - इससे प्रभावित परिवारों में यह असमानता बच्चों में जन्म से ही जुड़ जाती है और यह उनके लिये गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा और अवसरों तक पहुँच को सीमित करती है।
  - इसके अलावा देश में आय असमानता में वृद्धि की लहर देखी जा रही है। वर्ष 2000 और वर्ष 2018 के बीच देश की निचली 40% आबादी (आर्थिक दृष्टि से) की आय में हुई वृद्धि मात्र 58%थी जो कि देश की पूरी आबादी की औसत आय वृद्धि (122%) से काफी कम है।

- लैंगिक असमानता: आँकड़ों के अनुसार, भारत में महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय पुरुषों की तुलना में मात्र 21.8% ही थी, जबकि विश्व के अन्य विकसित देशों में यह दोगुने से अधिक (लगभग 49%) थी।
  - भारत में कामकाजी आयु वर्ग की केवल 20.5% महिलाएँ श्रमिक वर्ग में शामिल थीं, जो कि एक निराशाजनक महिला श्रम बल भागीदारी दर (LFPR) की ओर संकेत करता है।
- प्रभाव: इन कारकों के संचयी प्रभाव का प्रसार कई पीढ़ियों तक देखने को मिलता है। यह पीढ़ीगत दुश्चक्र ही समाज के निचले वर्ग के लोगों के लिये अवसरों को सीमित करता है।

आगे की राह

- उचित आय वितरण: यद्यपि आर्थिक संसाधनों का आकार मानव विकास को प्रभावित करने वाला एक महत्त्वपूर्ण कारक है परंतु इन संसाधनों का वितरण और आवंटन भी मानव विकास के स्तर को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाता है।
  - कई वैश्विक अध्ययनों से पता चलता है कि एक मध्यम सामाजिक व्यय के चलते भी अधिक प्रभावी आय वितरण के साथ उच्च विकास (High Growth) के माध्यम से मानव विकास को बढ़ाने में सहायता मिल सकती है।
  - उदाहरण के लिये दक्षिण कोरिया और ताइवान ने प्रारंभिक भूमि सुधारों के माध्यम से आय वितरण में सुधार किया।
- सामाजिक अवसंरचना में निवेश: शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के सार्वभौमिकीकरण के माध्यम से वंचित वर्गों को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकाला जा सकता है।
  - लोगों के लिये जीवन की गुणवत्ता को बनाए रखना और इसमें निरंतर सुधार करना, नवीन चुनौतियों (जैसे शहरीकरण, आवास की कमी, बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच आदि) से निपटने के लिये बनाई गई नीतियों पर निर्भर करेगी।
  - वित्तीय ज़रूरतों का प्रबंधन: राजस्व सृजन के नए स्रोतों के निर्माण के पारंपरिक दृष्टिकोण को व्यवस्थित करना। सब्सिडी के तर्कसंगत लक्ष्यीकरण, सामाजिक क्षेत्र के विकास हेतु निर्धारित राजस्व का विवेकपूर्ण उपयोग आदि जैसे कदम HDI में सुधार के लिये आवश्यक वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं।
- सुशासन : परिणामी बजट, सामाजिक ऑडिट और सहभागी लोकतंत्र आदि नवीन तरीकों के माध्यम से सामाजिक क्षेत्र के विकास में संलग्न परियोजनाओं और गतिविधियों के प्रभावी प्रदर्शन मूल्यांकन जैसे प्रयासों से सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं।
- लैंगिक सशक्तीकरण: महिलाएँ मानव विकास का अभिन्न अंग हैं, अत: सरकार को लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण में निवेश करना चाहिये।

निष्कर्ष

भारत के मानव विकास सूचकांक में व्यापक सुधार किया जा सकता है, परंतु यह तभी संभव होगा जब राजनीतिक रूप से प्रतिबद्ध सरकार द्वारा ऐसी समावेशी नीतियों को लागू किया जाए जो सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण को मज़बूत करने के साथ ही लैंगिक भेदभाव को समाप्त करते हुए एक अधिक समतावादी व्यवस्था की ओर ले जाती हैं।

यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड

संदर्भ

महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराध मानवता के विरुद्ध सबसे जघन्य अपराधों में से एक है। ऐसे में इस तरह की चुनौतियों को दूर करना जनता के हित में होता है और यौन अपराधों पर नियंत्रण के लिये मृत्युदंड की मांग को बढ़ावा देता है।

इसी संदर्भ में 10 दिसंबर, 2020 को मानवाधिकार दिवस के अवसर पर महाराष्ट्र मंत्रिमंडल द्वारा 'शक्ति विधेयक' को मंजूरी दी गई है, जो बलात्कार के गैर-घातक मामलों (वैवाहिक दुष्कर्म को छोड़कर) में कठोर और अनिवार्य दंड के दायरे को बढ़ाता है, जिसमें मृत्युदंड भी शामिल है। शक्ति विधेयक ऐसे समय में आया है जब देश के अन्य कई राज्यों में यौन अपराधों में मृत्युदंड देने के लिये विधायी प्रस्ताव लाए गए हैं। उदाहरण

के लिये आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2020 में दिशा विधेयक (वर्तमान में राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये लंबित) पारित किया गया, यह विधेयक वयस्क महिलाओं से बलात्कार के मामलों में मृत्युदंड का प्रावधान करता है। हालाँकि मृत्युदंड के प्रावधान को लाया जाना ही अंतिम समाधान नहीं है बल्कि यह गंभीर मुख्य समस्याओं और दीर्घकालिक समाधानों से हमारा ध्यान हटाता है। साथ ही यह संकेत देता है कि ऐसे अपराधों का मुख्य कारण कठोर दंड प्रावधानों का न होना है।

यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड से जुड़ी चुनौतियाँ

- पीड़ितों को अधिक नुकसान पहुँचने की संभावना: महिला अधिकार समूहों का तर्क है कि यौन अपराधों में कमी लाने के लिये मृत्युदंड का प्रावधान एक प्रतिक्रियावादी और लोकलुभावन समाधान है।
  - इसके अलावा बाल-अधिकार कार्यकर्त्ता इस बात पर ज़ोर देते हैं कि गैर-घातक बलात्कार के लिये मृत्युदंड का प्रावधान किये जाने से बलात्कार के अपराधियों द्वारा पीड़ितों को गवाही देने से रोकने के लिये उनकी हत्या भी की जा सकती है।
- मृत्युदंड और पूर्वाग्रह की समस्या: कठोर दंड के प्रावधानों को लागू किया जाना न्यायाधीशों और पुलिस के मन से प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को दूर नहीं करता है।
  - सामान्यत: पुलिस शिकायत दर्ज करने से इनकार कर सकती है या ऐसे मामलों में अपराधियों को बरी भी कर सकती है जिनमें वह मामले को अनिवार्य न्यूनतम कार्रवाई के लिये "गंभीर" नहीं मानती।
- अपराध सिद्धि की निम्न दर: राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (National Crime Record Bureau-NCRB) द्वारा जारी आँकड़ों के अनुसार, यौन अपराध के 93.6% मामलों में पीड़ित का कोई करीबी (रिश्ते या सहकर्मी आदि के संदर्भ में) ही अपराधी होता है।
  - ऐसे में यौन अपराधों के लिये मृत्युदंड का प्रावधान शिकायतकर्त्ताओं को शिकायत दर्ज करने से रोक सकता है।
- न्याय मिलने में देरी: किसी भी मामले में मृत्युदंड के निष्पादन की प्रक्रिया अपील के कई चरणों और क्षमादान प्राप्त करने के विकल्पों के बाद शुरू होती है।
  - प्रतिवादी को सभी कानूनी उपायों के प्रयोग के लिये दिये जाने वाले समय के कारण न्यायिक प्रक्रिया के पूरे होने और फैसला आने में काफी समय लग जाता है।
  - इसके कारण तत्काल प्रतिशोध की घटनाओं में वृद्धि भी देखी जा सकती है, उदाहरण के लिये वर्ष 2019 के अंत में हैदराबाद में सामूहिक बलात्कार और हत्या के संदिग्धों की न्यायेतर हत्या।
- प्रतिगामी कदम: वर्ष 2012 के निर्भया मामले के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति (Justice Verma Committee) ने यौन हिंसा पर कई सिफारिशें प्रस्तुत कीं, साथ ही समिति ने ऐसे अपराधों को रोकने में मृत्युदंड के हतोत्साही या निवारक प्रभाव को "एक मिथक" बताया था।
  - इस रिपोर्ट में समिति ने कहा कि गैर-घातक मामलों में मृत्युदंड को लागू करना एक प्रतिगामी कदम होगा।

शक्ति विधेयक से जुड़े अन्य मामले

- इस विधेयक में महिला विरोधी एक अन्य बात दिखाई देती है कि यह विधेयक वयस्क अपराधी और पीड़ित के मामले में सकारात्मक सहमति के मानक से परे है।
  - महिला आंदोलनों के व्यापक प्रयासों के बाद सकारात्मक सहमति के मानकों को स्थापित किया जा सका, जो महिला द्वारा शब्दों, संकेत, मौखिक या गैर-मौखिक संचार के किसी भी रूप में स्पष्ट स्वैच्छिक सहमति पर आधारित है।
- इससे बिलकुल पीछे हटते हुए विधेयक यह निर्धारित करता है कि मान्य सहमति को "पक्षों के आचरण" और " परिस्थितियों" के आधार पर परिकल्पित किया जा सकता है।

नोट :

- बलात्कार से जुड़े मामलों की सुनवाई अभी भी स्त्री विद्वेष की धारणाओं से प्रेरित होती है, जिसमें ऐसे अपराधों का सामना करने के दौरान पीड़ित के चोटिल होने, अनिवार्य रूप से विरोध करने, और शारीरिक रूप से व्यथित होने की उम्मीद जताई जाती है।
- अत: इस विधेयक की अस्पष्ट व्याख्या ऐसे अपराधों का सामना कर चुके लोगों से केवल एक विशेष तरीके से जवाब देने की अपेक्षा करते हुए खतरनाक संभावनाएँ प्रस्तुत करता है।

आगे की राह

- न्याय वितरण प्रणाली की कमियों को दूर करना: न्याय वितरण प्रणाली की सबसे गंभीर कमी और चुनौती पुलिस में शिकायत दर्ज कराना है। अत: आपराधिक न्याय प्रणाली को अपना ध्यान सज़ा सुनाने और उसके निष्पादन से हटाकर मामलों की रिपोर्टिंग, जाँच तथा पीड़ित-सहायता तंत्र के विभिन्न चरणों पर केंद्रित किये जाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित उपायों को सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है:
  - पीड़ित बिना किसी भय के मामले की रिपोर्ट दर्ज करा सके।
  - पुलिस द्वारा मामले की विधिवत जाँच की जाए।
  - केस की सुनवाई के दौरान पीड़ित की सुरक्षा सुनिश्चित करना।
  - जहाँ तक संभव हो गवाही की आसान और शीघ्र व्यवस्था करना।
  - वर्तमान में उपलब्ध संसाधनों की तुलना में अधिक संसाधनों का आवंटन और कानूनों का अधिक मज़बूती से कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना।
- व्यापक स्तर पर संवेदनशीलता: मृत्युदंड के दायरे में विस्तार के बावजूद समाज में पूर्वाग्रहों को दूर करने के लिये बहुत ही कम प्रयास किये गए हैं।
  - यौन अपराधों के खिलाफ समाज में व्याप्त पूर्वाग्रहों को संबोधित करने के लिये न्याय प्रणाली में शामिल लोगों और उससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण समाज में संवेदीकरण को बढ़ावा दिये जाने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से निपटने के लिये मात्र सज़ा बढ़ाए जाने की बजाय, व्यापक सामाजिक सुधार, शासन के निरंतर प्रयासों और जाँच तथा रिपोर्टिंग तंत्र को मज़बूत करने की आवश्यकता है।

The Vision

नोट :